भारतीय स्टेट बैंक

तुलन-पत्र 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	746,57,31	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	127691,65,34	117535,67,65
जमाराशियाँ	3	1576793,24,50	1394408,50,48
उधार-राशियाँ	4	205150,29,26	183130,88,26
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	137698,03,57	96926,65,38
योग		2048079,79,98	1792748,29,08
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	115883,84,35	84955,66,05
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	58977,46,02	47593,97,22
निवेश	8	495027,39,52	398799,57,13
अग्रिम	9	1300026,39,29	1209828,71,92
अचल आस्तियाँ	10	9329,16,42	8002,15,51
अन्य आस्तियाँ	11	68835,54,38	43568,21,25
योग		2048079,79,98	1792748,29,08
आकस्मिक देयताएँ	12	1000627,25,78	1017329,95,45
उगाही के लिए बिल	-	92795,24,84	74028,41,81
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000 शेयर ₹ 10 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 74,66,56,167 इक्विटी शेयर, ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर)	746,65,61	746,65,61
अभिदत्त और संदत पूंजी: [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 1,60,431,560 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹10 के 15,873,554 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 16,043,156 (पिछले वर्ष 793,67,77) वैश्विक निक्षेपागाार रसीदों के रूप में है]**	746,57,31	746,57,31
योग	746,57,31	746,57,31

* बैंक के इक्किटी शेयर का अंकित मूल्य 22 नवम्बर 2014 (रिकॉर्ड तिथि 21 नवम्बर 2014) से दिनांक 24 सितम्बर 2014 के संकल्प के अनुसार ₹ 10 प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर किया गया है।

** जीडीआर/इक्विटी शेयर अनुपात 24 नवम्बर 2014 से 1:2 से 1: 10 में परिवर्तित किया गया है ।

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	43810,33,00		40470,71,09	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4029,07,98		3339,61,91	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			47839,40,98		43810,33,00
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	1744,01,05		1527,25,75	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	105,50,44		216,75,30	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			1849,51,49		1744,01,05
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		31501,19,81	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		9969,10,90	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		25,62,11	
			41444,68,60		41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6040,01,00		3475,33,39	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	158,29,42		2564,67,61	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	25,95,71		-	
			6172,34,71		6040,01,00

अनुसूचियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां***				
	अथशेष	24496,31,52		21224,81,17	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5889,05,56		4796,63,50	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		1525,13,15	
			30385,37,08		24496,31,52
VI	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		32,48		32,48
	* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हज़ार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(iii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ ₹6719,06,15 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5544,98,43 हज़ार)				
योग			127691,65,34		117535,67,65

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	5941,51,45	6041,38,80
	(ii) अन्य से	118630,78,84	107191,08,49
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	527332,81,84	485167,93,49
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	9179,86,77	34117,68,40
	(ii) अन्य से	915708,25,60	761890,41,30
	योग	1576793,24,50	1394408,50,48
ख.	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1487236,32,78	1305983,94,89
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	89556,91,72	88424,55,59
योग		1576793,24,50	1394408,50,48

अनुसूचियाँ

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		2595,00,00		12200,00,00
	(ii) अन्य बैंक		674,52,05		1121,44,41
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		3490,55,76		8280,19,25
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत	2165,00,00		2165,00,00	
	ख) गौण ऋण	36471,39,60		36671,39,60	
			38636,39,60		38836,39,60
योग			45396,47,41		60438,03,26
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		155847,56,85		118948,16,25
	(II) पूंजीगत लिखत				
	नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत		3906,25,00		3744,68,75
योग			159753,81,85		122692,85,00
कुल योग			205150,29,26		183130,88,26
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			4581,96,92		3339,91,31

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	20184,69,67	19165,70,27
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	39061,18,75	1502,58,08
III.	प्रोद्भूत ब्याज	20560,45,58	15772,86,89
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2353,11,87	3351,52,25
V.	अन्य (प्रावधान सहित)*	55538,57,70	57133,97,89
योग		137698,03,57	96926,65,38

* इसमें ईक्विटी शेयरों के अधिमानी इश्यू के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2970,00,00 हजार की शेयर आवेदन राशि शामिल है।

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	14943,22,17	12456,56,04
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	100940,62,18	72499,10,01
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	115883,84,35	84955,66,05

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	193,75,88	916,04,64
(ख) अन्य जमा खातों में	20105,52,16	13292,53,15
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	2240,00,00	3650,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	22539,28,04	17858,57,79
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	21059,05,65	9555,80,00
(ii) अन्य जमा खातों में	1946,13,70	2836,10,73
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	13432,98,63	17343,48,70
योग	36438,17,98	29735,39,43
कुल योग (I एवं II)	58977,46,02	47593,97,22

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में निवेश :**		
	(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	377654,15,03	308394,62,24
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) शेयर	4336,48,56	3009,16,29
	(iv) डिबेंचर और बांड	30527,76,51	26424,80,57
	(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)	7596,50,49	6153,70,49
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट्, कमर्शियल पेपर तथा प्राथमिक क्षेत्र की जमा राशियाँ इत्यादि)	44555,47,08	30557,63,96
योग		464670,37,67	374539,93,55
II	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	5758,32,99	3465,14,10
	(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम	2185,68,69	2183,71,39
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	22413,00,17	18610,78,09
योग		30357,01,85	24259,63,58
कुल योग (I एवं II)		495027,39,52	398799,57,13
III.	**भारत में निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	464903,63,14	375190,53,48
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	233,25,47	650,59,93
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	464670,37,67	374539,93,55
IV.	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	30603,67,21	25156,84,83
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास	246,65,36	897,21,25
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) योग	30357,01,85	24259,63,58
कुल योग (III एवं IV)		495027,39,52	398799,57,13

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	95605,93,62	77755,08,56
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	538576,40,18	522860,87,39
	III. सावधि ऋण	665844,05,49	609212,75,97
योग		1300026,39,29	1209828,71,92
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	988275,84,14	949116,35,89
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	52640,93,65	61654,47,71
	III. अप्रतिभूत	259109,61,50	199057,88,32
योग		1300026,39,29	1209828,71,92
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	288952,35,26	280819,50,12
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	99444,50,78	74172,44,97
	(iii) बैंक	261,94,79	99,98,62
	(iv) अन्य	678592,56,54	642792,39,65
योग		1067251,37,37	997884,33,36
ग)	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	49656,27,37	47670,95,07
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) सक्रिय किए गए और बट्टाकृत बिल	28459,86,93	11768,61,70
	(ख) सिंडीकेट ऋण	73482,21,58	84589,24,23
	(ग) अन्य	81176,66,04	67915,57,56
योग		232775,01,92	211944,38,56
कुल योग (ग - I एवं ग - II)		1300026,39,29	1209828,71,92

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर					
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	3112,45,97		2816,74,52		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	312,37,37		312,32,09		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5,44,23		16,60,64		
अद्यतन मूल्यह्रास	447,32,80		1021,60,07		
		2972,06,31		2090,85,90	
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)					
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	15573,29,35		13618,43,55		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2758,28,85		2750,04,30		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	789,22,75		795,18,50		
अद्यतन मूल्यह्रास	11472,61,90		9947,69,74		
		6069,73,55		5625,59,61	
III. पट्टाकृत आस्तियाँ					
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	233,62,47		782,89,10		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-		
वर्ष के दौरान घटौती	24,92,27		549,26,63		
प्रावधानों सहित आज तक का मूल्यह्रास	208,70,20		233,62,47		
		-		-	
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		287,36,56		285,70,00	
योग (I, II, III एवं IV)		9329,16,42		8002,15,51	

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	15020,62,03	13416,73,64
(iii) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	9257,46,09	11880,51,10
(iv) आस्थगित कर आस्तियों (निवल)	365,98,57	513,69,19
(v) लेखन सामग्री और स्टांप	104,48,23	116,21,78
(vi) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	4,25,91	4,25,91
(vii) अन्य	44082,73,55	17636,79,63
योग	68835,54,38	43568,21,25

अनुसूचियाँ

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	14132,87,81	13578,51,87
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	463,08,37	519,40,99
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	568894,47,16	573861,67,93
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	123711,14,64	103663,00,11
(ख) भारत के बाहर	63673,91,98	71539,24,21
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	97765,09,54	125106,49,61
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	131986,66,28	129061,60,73
योग	1000627,25,78	1017329,95,45

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. **आय**			
अर्जित ब्याज	13	152397,07,42	136350,80,39
अन्य आय	14	22575,89,26	18552,91,64
योग		174972,96,68	154903,72,03
II. **व्यय**			
व्यय किया गया ब्याज	15	97381,82,36	87068,63,25
परिचालन व्यय	16	38677,64,14	35725,85,13
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		25811,92,98	21218,06,48
योग		161871,39,48	144012,54,86
III. लाभ			
निवल लाभ (वर्ष के लिए)		13101,57,20	10891,17,17
अग्रानीत लाभ		32,48	33,93
योग		13101,89,68	10891,51,10
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		4029,07,98	3339,61,91
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		105,50,44	216,75,30
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		5889,05,56	4796,63,50
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश (लाभांश पर कर)		-	1,45
चालू वर्ष हेतु लाभांश			
I) अंतरिम लाभांश		-	1119,85,96
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		2648,17,28	1119,85,96
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		429,75,94	298,44,54
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		32,48	32,48
योग		13101,89,68	10891,51,10
प्रति शेयर मूल आय		₹ 17.55	₹ 15.68
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 17.55	₹ 15.68
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	112343,91,20	102484,10,37
II.	निवेशों पर आय	37087,76,73	31941,87,36
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	505,12,35	409,30,71
IV.	अन्य	2460,27,14	1515,51,95
योग		152397,07,42	136350,80,39

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	13172,83,13	12611,29,65
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	3618,04,99	2279,40,50
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	-	(202,68,32)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(42,74,99)	(38,64,16)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	1935,95,56	1895,27,58
VI.	विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	677,03,43	496,85,99
VII.	वित्तीय पटटे से आय	5,75	2,57,65
VIII.	विविध आय	3214,71,39	1508,82,75
योग		22575,89,26	18552,91,64

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	89148,45,02	78123,35,62
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	3972,04,27	5150,79,30
III.	अन्य	4261,33,07	3794,48,33
योग		97381,82,36	87068,63,25

अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	23537,06,76	22504,27,73
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3406,94,48	2958,82,55
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	373,50,46	344,84,96
IV. विज्ञापन और प्रचार	284,63,61	278,25,69
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1116,49,32	1333,93,66
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	60,71	1,08,57
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	178,99,93	168,34,19
VIII. विधि प्रभार	191,62,37	192,55,28
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	656,82,87	673,51,37
X. मरम्मत और अनुरक्षण	545,07,28	434,00,14
XI. बीमा	1594,35,89	1468,43,71
XII. अन्य व्यय	6791,50,46	5367,77,28
योग	38677,64,14	35725,85,13

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर निरंतर संस्थान आधार पर तैयार किए गए हैं एवं वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंडों/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है , के अनुरूप हैं .

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि का - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को ट्रेडिंग नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि, निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल विनिवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेंज फीस जो कि प्रोद्भवन आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित किया जाता है, को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय को वसूली के बाद मान्य किया गया है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान/खर्च की गई दलाली/कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करती है, तो इसे अपने खातों से हटा देती है ।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है ।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान को आरबीआई की अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1 निवेश:

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि"(सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है।

सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को "सौदे की तिथि" (ट्रेड - डेट) पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित(एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु धारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी: क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है । (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानि बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है ।

v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है ।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य मे से प्रावधान घटा कर) और ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य को नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है । तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की

वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹.1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते है।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है । तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है । इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची -4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर") रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इनफ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियाँ		
प्रतिभूत भाग	i. एक वर्ष तक - 25% ii. एक से तीन वर्ष तक - 40% iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%	
अप्रतिभूत भाग	100%	
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%	

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत / पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य का एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है ।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

4. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित और ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों । संविदा करते समय और आवधिक अंतरालों पर बचाव की प्रभावकारिता स्थापित की जाती है।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यता मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया

हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास/परिशोधन से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल न होने वाला कंप्यूटर सॉ फ्टवेयर	सीधी कटौती पद्धति	क्रय वर्ष में 100%
4	अन्य अचल आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	आस्ति अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर।

प्रमुख अस्थायी आस्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसर	60 वर्ष
वाहन-	5 वर्ष
सुरक्षित जमा लॉकर-	20 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर -	10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्तिकी रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को कर दी गई है। तथा परिणामी लाभ/हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर परिवर्तित कर दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुन: मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि को लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

1.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. **नियत हितलाभ योजना**

1. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान

किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि या ₹ दस लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है । इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबन्धित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा औरं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

1.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय-कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय-कर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन का परिणाम के फलस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है;

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

   क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

   ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस की आय करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा बेचता है। बैंक सोना जमा लेता है एवं उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमे भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (iii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनूसूची 18:

लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी:

1. पूँजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.10 %	9.98 %
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.69%	2.98 %
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात - (%)	12.79%	12.96 %

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.31%	9.59 %
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	9.60%	9.72 %
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.40%	2.72 %
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात - (%)	12.00%	12.44 %
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.60 %	58.60 %
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	4,37,45,98,250	4,37,45,98,250
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	2,970.00**	10,031.65
(viii)	अतिरिक्त टियर - 1(एटी1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पी एन सी पी एस	-	-
	ख) पी डी आई	-	-
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित		
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	2,000
	ख) प्रिफरेंस शेयर पूंजी लिखत :	-	-
	(बेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी प्रिफरेंस शेयर (आरसीपीएस)		

* दिनांक 22.11.2014 से बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर कर दिया गया है.(अभिलेखित दिनांक: 21.11.2014)

** 1 अप्रैल 2015 को आबंटित शेयर (वर्तमान में एटी 1 के अंतर्गत विचाररत)

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को आबंटित प्रति शेयर ₹1 के 10,04,77,012 ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के संबंध में दिनांक 31.03.2015 को भारत सरकार से ₹2970 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें ₹2,959.95 करोड़ की प्रीमियम राशि शामिल है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन 01.04.2015 को किया गया।

ख) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 सितंबर 2014 को आयोजित बैठक में बैंक के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को ₹ 10/- प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1/- प्रति शेयर करने पर विचार किया और अनुमोदित किया और साथ ही जारी किए गए शेयरों की संख्या को यथानुपातिक आधार पर बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया। शेयरों को दिनांक 21 नवंबर 2014 को विभक्त किया गया।

ग) बैंक ने अधिकार निर्गम - 2008 के भाग स्वरूप जारी ₹ 1/- प्रत्येक के 830, 750 (पिछले वर्ष के ₹ 10 प्रत्येक के 83,075 इक्विटी शेयर) इक्विटी शेयरों का आबंटन प्रास्थगित कर दिया है क्योंकि उनके हक के संबंध विवादित अथवा निर्णयाधीन है ।

घ) शेयर जारी करने से संबंधित खर्च: निरंक (पिछले वर्ष ₹25.62 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते के नामे किया गया।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

क) विदेशी

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र टियर - I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का विवरण निम्नवत है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम की तिथि	अवधि	राशि	31 मार्च 2015 को समतुल्य ₹	31 मार्च 2014 को समतुल्य ₹
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला* के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल 10.25 वर्ष	अमेरिकी डालर - 400 मिलियन	2,500.00	2,396.60
एमटीएन कार्यक्रम- 14वींश्रृंखला# के अंतर्गत जारी बांड	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	अमेरिकी डालर - 225 मिलियन	1,406.25	1,348.09
योग			अमेरिकी डालर - 625 मिलियन	3,906.25	3,744.69

* यदि बैंक 15 मई 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

यदि बैंक 27 जून 2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

ये बांड असुरक्षित बांड है एवं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं। (एसजीएक्स- बॉन्डस बोर्ड)

ख) देशीय:

देशीय आईपीडीआई बकाया का विवरण निम्नलिखित है:

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर - I) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर - I) श्रृंखला - II	1,000.00	27.01.2010	9.05
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2007-08 एस बी आई एन श्रृंखला - VI (टियर - I)	165.00	28.09.2007	10.25
योग		**2,165.00***		

* वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बाज़ार से लिए गए ₹ 2,000 करोड़ शामिल है जिसमें से ₹ 550 करोड का निवेश एसबीआई कर्मचारी पेंशन फंड ने किया है इसे आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर -I पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है ।

4. गौण ऋण

बॉंड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, लम्बी अवधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडिम योग्य होते हैं ।

बकाया गौण ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005 (निम्न टियर - II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (उच्च टियर - II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2006 (II) (उच्च टियर - II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2006 (III) (उच्च टियर - II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
5	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट बांड-2006 (IV) (उच्च टियर - II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (V) (उच्च टियर - II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006(VI) (उच्च टियर - II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180
9	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (VIII)(उच्च टियर-II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2006 (IX) (निम्न टियर -II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2007-08 (I)(उच्च टियर-II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
12	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2007-08 (II) (उच्च टियर-II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2008-09 (I) (उच्च टियर-II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
14	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
15	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2008-09(III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड 2008-09(V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2005-06 एसबीएस (श्रृंखला-I) (निम्न टियर II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2006-07 एसबीएस(श्रृंखला - II) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2005-06 एसबीआई एन(श्रृंखला-II)(निम्न टियर II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
21	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड -2005-06 एसबीआई एन(श्रृंखला –III)(निम्न टियर II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
22	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एसबीआई एन (श्रृंखला - IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
23	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 -07 एसबीआई एन (श्रृंखला - V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180
24	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008 -09 एसबीआई एन (श्रृंखला - VII)(उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
25	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला - I)	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
26	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
27	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर ष्ठ अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला - 3)	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120
28	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला - 3)	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
29	एस बी आई सार्वजनिक निर्गम निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला - 4)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
30	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला - 4) का एस बी आई सार्वजनिक निर्गम	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
31	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड-2013-14 एस बी आई एन (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
योग		36,471.40			

18.2 निवेश :

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
I. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	4,64,903.63	3,75,190.53
(ख) भारत से बाहर	30,603.67	25,156.85
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	233.25	650.60
(ख) भारत से बाहर	246.65	897.21
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	4,64,670.38	3,74,539.93
(ख) भारत से बाहर	30,357.02	24,259.64
2. निवेशों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	1,547.81	1,098.44
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	168.29	1,337.20
iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	511.13	151.90
iv) जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मुल्यांकन समायोजन/वर्ष के दौरान उपयोगिता	33.29	38.02
v) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	758.36	773.95
vi) इति शेष	479.90	1,547.81

टिप्पणी :

क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों में उपयोग में लाई गई चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत ₹ 36,761 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25,852 करोड़) शामिल नहीं है।

ख) ₹ 13,779.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,587.88 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि./एनएससीसीएल/एमसीएक्स/यूएसईआईएल के पास प्रतिभूति मार्जिन हेतु रखी गई हैं।

ग) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में क्रमश: i) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ₹ 385.00 करोड़ (75.01% से 78.91%), ii) एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ₹ 310.80 करोड़ (74% तक) iii) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹ 752.00 करोड़ (100% तक) और एसबीआई(मॉरीशस) लिमिटेड ₹ 1.97 करोड़ (96.60% से 96.36%तक) की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई।

घ) बैंक ने ₹ 379.26 करोड़ की राशि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के अधिकार-निर्गम हेतु निवेश किया है जिसका आबंटन 31.03.2015 तक लंबित है।

ङ) बैंक ने ₹ 161.91 करोड़ की राशि पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया में दिसंबर 2014 को निवेश की है जिसका आबंटन 31.03.2015 तक लंबित है।

2. रेपो लेनदेन चलनिधि समायोजन सुविधा सहित (एलएएफ).:

वर्ष के दौरान रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो एलएएफ समेत के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	वर्ष के अंत में शेष राशि 31 मार्च 2015
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	- (-)	54,102.00 (60,000.00)	9,789.59 (19,082.92)	37,603.23 (54,102.00)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	- (442.80)	516.56 (2,166.74)	258.28 (496.99)	- (795.82)
प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	- (5.77)	22,010.12 (6,278.73)	2,434.51 (278.22)	- (-)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना :

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी नियोजन की मात्रा	निवेश टियर से कम प्रतिभूतियों की मात्रा	बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियों* की मात्रा	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों* की मात्रा
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	14,751.97 (12,885.97)	3,445.03 (2,383.19)	419.01 (571.62)	418.76 (714.96)	719.01 (829.48)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	15,395.58 (11,488.61)	8,484.47 (2,377.99)	- (-)	- (-)	200.00 (200.00)
(iii)	बैंक	22,060.06 (20,117.67)	9,963.70 (5,633.01)	798.34 (27.41)	- (-)	- (192.10)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट	30,846.04 (20,360.19)	16,654.33 (4,922.74)	1,594.50 (184.09)	933.07 (1,143.91)	238.39 (126.37)
(v)	अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम **	9,785.06 (8,340.29)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(vi)	अन्य	25,014.41 (18,760.03)	- (-)	719.38 (119.34)	852.70 (499.09)	749.36 (375.77)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान	479.90 (1547.81)	- (-)	6.05 (-)	93.72 (337.13)	62.67 (-)
योग		1,17,373.22 (90,404.95)	38,547.53 (15,316.93)	3,525.18 (902.46)	2,110.81 (2,020.83)	1,844.09 (1,723.72)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हे रेटिंग/लिस्टिंग दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

अन्य में नाबार्ड के आरआईडीएफ जमा योजना के तहत जमा राशि ₹ 10,680.55 करोड़ (पिछला वर्ष ₹11,321.50 करोड़) एवं नाबार्ड के शहरी एवं ग्रामीण आवास फंड के तहत ₹ 2,588.09 करोड़ (पिछला वर्ष ₹1,141.60 करोड़) शामिल है ।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	935.24	1042.49
वर्ष के दौरान वृद्धि	48.11	206.11
वर्ष के दौरान कमी	581.63	313.36
इति शेष	401.72	935.24
रखे गए कुल प्रावधान	394.17	892.29

ग) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

18.3 डेरीवेटिव्स :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि*	92,965.61	1,53,015.27
ii)	प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	1,945.78	2,830.11
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v)	विनिमय - बही का उचित मूल्य	996.24	987.06

*बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 14,072.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,926.36 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	19,014.13	888.23
2	31 मार्च 2015 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	2.00	2.00
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और ''अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और ''अत्यधिक प्रभावी" नहीं है.	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i) बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव-व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है. बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद-विक्रय का लेनदेन किया है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में विकल्प की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii) डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम अर्थात यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि ,संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक वीएआर आधारित सीमाओं को आधार बनाने की प्रक्रिया में है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण -सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है।

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड - ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है और इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2014-15 की प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यत: आस्ति और देयताओं की बचाव - व्यवस्था हेतु किया जाता है।

vi. बचाव - व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा - विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यत: विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव - व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं।

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादितॉ किए गए हैं। ।

(ख) मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र :

₹ करोड़ में

विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरीवेटिव्स				
(आनुमानिक मूल राशि)				
(क) बचाव - व्यवस्था के लिए	4,450.61 @	9,989.90@	69,056.07 #	60,742.05#
(ख) क्रय-विक्रय के लिए *	2,42,870.49	4,85,254.19	62,128.01	92,273.20
(II) बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	3,152.45	14,876.90	979.00	482.13
(ख) देयता	2,280.85	18,761.24	667.47	256.11
(III) ऋण जोखिम	11,206.42	27,578.81	3,774.49	3,907.81
(IV) ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	0.02	0.05	(92.42)#	(128.55)
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	2.88	10.53	24.44	1.02
(V) वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
क) बचाव - व्यवस्था पर - अधिकतम	0	0.08	-79.11	49.11
- न्यूनतम	-0.03	0.00	-88.24	(130.06)
ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	6.22	16.49	0.38	59.00
- न्यूनतम	0.039	(1.70)	0.2225	(22.16)

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹8,486.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,040.52 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹ 14,072.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,926.36 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के बचाव - व्यवस्था के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेशी कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। (करेंसी डेरिएटिव्स –₹ 7,757.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 531.58 करोड़) और ब्याज दर डेरिएटिव्स – ₹ 62.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.99 करोड़)

1. 31.03.2015 तक ग्लोबल मार्केटस् यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 30,379.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21,552.45 करोड़) है औरं 31 मार्च 2015 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 14,995.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29,754.93 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2015 तक विचाराधीन आस्ति /देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹129,113.66 करोड़ (₹ 74,877.22 करोड़) है।

18.4. आस्ति - गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	2.12%	2.57%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) अथशेष	61,605.35	51,189.39
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	29,435.02	41,216.67
उप-योग (I)	**91,040.37**	**92,406.06**
घटाएँ:		
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	3,776.15	10,183.27
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	9,235.42	7,734.94
(च) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	निरंक	निरंक
(छ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	21,303.46$	12,882.50
उप-योग (II)	**34,315.03**	**30,800.71**
(च) इति शेष (**I-II**)	56,725.34	61,605.35
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	31,096.07	21,956.48
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	9,504.61	22,293.57
(ग) वर्ष के दौरान कमी	13,010.10	13,153.98
(घ) इति शेष	27,590.58	31,096.07
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(क) अथ शेष	30,509.28	29,232.91
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	19,930.41	18,923.10
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	21,304.93	17,646.73
(घ) इति शेष	29,134.76	30,509.28

अथ शेष एवं इति शेष में प्राप्त एवं स्थगित ईसीजीसी दावे शामिल है और बकाया समायोजन राशि क्रमश: ₹69.30 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 71.12 करोड़) एवं ₹ 62.64 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 69.30 करोड़) है।

$ एआरसी को बेचे गए कुल प्रतिफल ₹ 10,852.55 करोड़ जिसमें ₹ 4,294.60 करोड़ एनपीए शामिल हैं।

ख) पुनर्संरचित खाते

₹ करोड़ में

क्रम सं	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण											
	विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
1	1 अप्रैल 2014 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)											
		उधारकर्ताओं की संख्या	110	13	40	3	166	483	35	78	9	605
			(105)	(10)	(30)		(145)	(326)	(51)	(127)	(3)	(507)
		बकाया राशि	21,134.61	836.09	5,066.44	499.74	27,536.88	3,834.26	251.71	1,209.96	86.17	5,382.10
			(14914.32)	(586.44)	(2119.60)		(17620.36)	(2064.70)	(450.71)	(522.11)	(0.34)	(3037.86)
		संबन्धित प्रावधान	1,636.32	60.34	520.73	0.10	2,217.49	117.21	22.89	169.89	0.04	310.03
			(1384.65)	(39.78)	(82.90)		(1507.33)	(106.89)	(66.20)	(52.92)		(226.01)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नया पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	47	4	8	-	59	97	29	20	1	147
			(48)	(6)	(7)	(1)	(62)	(254)	(24)	(62)		(340)
		बकाया राशि	8,208.93	839.32	648.19	-	9,696.44	1,616.65	194.15	364.74	1.14	2,176.68
			(11870.52)	(691.25)	(867.57)	(57.43)	(13486.76)	(2656.82)	(207.91)	(703.13)	(48.70)	(3616.55)
		संबन्धित प्रावधान	664.08	90.44	14.81	-	769.33	82.76	6.98	2.67	-	92.40
			(944.21)	(26.58)	(286.56)	(57.43)	(1314.78)	(75.20)	(19.05)	(98.34)	(-2.74)	(189.85)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की संख्या	5	-2	-3			2		-2		
			(1)	(2)	(-3)	(-)	(-)	(6)	(-4)	(-2)	(-)	(-)
		बकाया राशि	699.09	-38.09	-660.99			3.87	0.00	-3.87		
			(126.84)	(17.59)	(-144.43)			(50.25)	(-50.25)	(-)	(-)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	29.74	-1.49	-28.26							
			(0.58)	0.00	(-0.58)	(-)	(-)	(6.08)	(-6.08)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान और / या जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-20				-20	-68				-68
			(-9)				(-9)	(-10)				(-10)
		बकाया राशि	-1,800.54				-1,800.54	-243.42				-243.42
			(-388.15)				(-388.15)	(-35.76)				(-35.76)
		संबन्धित प्रावधान	-76.29				-76.29	-3.12				-3.12
			(-15.61)				(-15.61)	(-0.02)				(-0.02)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की संख्या	-16	-4	17	3		-90	39	43	8	
			(-26)		(24)	(2)	(-)	(-23)	(-4)	(20)	(7)	(-)
		बकाया राशि	-2,725.70	-268.98	2,517.19	477.49		-1,177.97	23.53	904.13	250.32	
			(-4830.76)	(-441.39)	(4829.84)	(442.30)	(-)	(-418.37)	(-73.51)	(454.73)	(37.15)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	-122.91	-12.37	87.62	47.66		-31.35	-10.32	24.32	17.35	
			(-353.14)	(-0.70)	(353.74)	(0.10)	(-)	(-49.08)	(-8.99)	(55.28)	(2.78)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या	-5	-4	-15	-4	-28	-109	-13	-32	-7	-161
			(9)	(5)	(18)		(32)	(70)	(32)	(129)	(1)	(232)
		बकाया राशि	-437.08	-368.57	-2,534.90	-499.74	-3,840.28	-707.83	-100.36	-272.82	-252.35	-1,333.36
			(558.17)	(17.79)	(2606.14)	(-)	(3182.10)	(483.36)	(283.16)	(470.01)	(0.02)	(1236.55)
		संबन्धित प्रावधान	-283.90	-33.03	-411.51	-0.10	-728.53	-43.64	-9.59	-125.10	-17.39	-195.73
			(324.37)	(5.31)	(201.89)	(57.43)	(589.00)	(21.86)	(47.29)	(36.66)	(-)	(105.81)
7	31 मार्च 2015 तक कुल पुनर्संरचित खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	121	7	47	2	177	315	90	107	11	523
			(110)	(13)	(40)	(3)	(166)	(483)	(35)	(78)	(9)	(605)
		बकाया राशि	25,079.31	999.76	5,035.94	477.49	31,592.49	3,325.56	369.03	2,202.13	85.28	5,982.00
			(21134.61)	(836.09)	(5066.44)	(499.74)	(27536.88)	(3834.26)	(251.71)	(1209.96)	(86.17)	(5382.10)
		संबन्धित प्रावधान	1,847.05	103.90	183.40	47.66	2,182.00	121.85	9.95	71.77	0.00	203.58
			(1636.32)	(60.34)	(520.73)	(0.10)	(2217.49)	(117.21)	(22.89)	(169.89)	(0.04)	(310.03)

क्रम सं	पुनर्संरचना के तरीके		अन्य					योग				
	आस्ति वर्गीकरण											
	विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिप्रद	कुल
1	1 अप्रैल 2014 तक पुनर्संरचना खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	3,771	1,088	750	77	5,686	4,364	1,136	868	89	6,457
			(5213)	(676)	(411)	(49)	(6349)	(5644)	(737)	(568)	(52)	(7001)
		बकाया राशि	18,081.62	1,829.00	5,942.25	165.81	26,018.68	43,050.49	2,916.80	12,218.66	751.72	58,937.66
			(15248.66)	(1914.98)	(5236.83)	(52.17)	(22452.63)	(32227.68)	(2952.13)	(7878.54)	(52.51)	(43110.86)
		संबन्धित प्रावधान	662.79	173.87	283.00	3.66	1,123.32	2,416.31	257.10	973.62	3.81	3,650.84
			(487.40)	(81.20)	(742.99)	(3.55)	(1315.13)	(1978.94)	(187.17)	(878.81)	(3.55)	(3048.47)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नया पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	364	288	580	119	1,351	508	321	608	120	1,557
			(772)	(367)	(487)	(19)	(1645)	(1074)	(397)	(556)	(20)	(2047)
		बकाया राशि	14,711.51	374.93	1,343.34	469.19	16,898.97	24,537.09	1,408.40	2,356.27	470.33	28,772.09
			(10856.98)	(834.37)	(1270.04)	(64.97)	(13026.36)	(25384.32)	(1733.52)	(2840.73)	(171.10)	(30129.68)
		संबन्धित प्रावधान	713.32	16.16	302.36	47.07	1,078.90	1,460.15	113.58	319.84	47.07	1,940.63
			(464.39)	(168.76)	(378.88)	(1.17)	(1013.20)	(1483.81)	(214.39)	(763.78)	(55.86)	(2517.83)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की संख्या	7	-3	-3	-1		14	-5	-8	-1	
			(66)	(-57)	(-9)	(-)	(-)	(73)	(-59)	(-14)	(-)	(-)
		बकाया राशि	273.81	-229.23	-0.05	-44.52	0.00	976.76	-267.32	-664.92	-44.52	
			(288.60)	(-13.18)	(-275.43)	(-)	(-)	(465.69)	(-45.84)	(-419.86)	(-)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	0.00	1.17	-1.17			29.74	-0.32	-29.43	0.00	
			(26.23)	(0.15)	(-26.08)	(-)	(-)	(32.89)	(-6.23)	(-26.66)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान और / या जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-385				-385	-473				-473
			(-74)				(-74)	(-93)				(-93)
		बकाया राशि	-1,301.54				-1,301.54	-3,345.50				-3,345.50
			(-3604.84)				(-3604.84)	(-4028.75)				(-4028.75)
		संबन्धित प्रावधान	-34.20				-34.20	-113.61				-113.61
			(-5.48)				(-5.48)	(-21.11)				(-21.11)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की संख्या	-1,112	465	302	345		-1,218	500	362	356	
			(-950)	(583)	(351)	(16)	(-)	(-999)	(579)	(395)	(25)	(-)
		बकाया राशि	-2,429.70	-285.92	2,479.08	236.53		-6,333.37	-531.37	5,900.40	964.34	
			(-2986.85)	(188.84)	(2616.86)	(181.15)	(-)	(-8235.98)	(-326.06)	(7901.43)	(660.61)	(-)
		संबन्धित प्रावधान	-58.40	0.24	54.22	3.94		-212.65	-22.45	166.16	68.95	
			(-88.79)	(-28.57)	(108.72)	(8.65)	(-)	(-491.01)	(-38.26)	(517.75)	(11.53)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की संख्या	-1,969	-565	-278	-77	-2,889	-2,083	-582	-325	-88	-3,078
			(1256)	(481)	(490)	(7)	(2234)	(1335)	(518)	(637)	(8)	(2498)
		बकाया राशि	-1,897.74	-917.96	-4,624.50	-521.74	-7,961.95	-3,042.65	-1,386.89	-7,432.22	-1,273.83	-13,135.59
			(1720.94)	(1096.01)	(2906.05)	(132.48)	(5855.47)	(2762.47)	(1396.96)	(5982.19)	(132.50)	(10274.12)
		संबन्धित प्रावधान	-187.81	-178.86	-499.44	-48.93	-915.04	-515.35	-221.48	-1,036.05	-66.43	-1,839.30
			(195.76)	(47.36)	(946.72)	(9.69)	(1199.54)	(541.99)	(99.96)	(1185.28)	(67.12)	(1894.36)
7	31 मार्च 2015 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	676	1,273	1,351	463	3,763	1,112	1,370	1,505	476	4,463
			(3771)	(1088)	(750)	(77)	(5686)	(4364)	(1136)	(868)	(89)	(6457)
		बकाया राशि	27,437.97	770.82	5,140.13	305.27	33,654.17	55,842.83	2,139.61	12,378.20	868.03	71,228.67
			(18081.62)	(1829.00)	(5942.25)	(165.81)	(26018.68)	(43050.49)	(2916.79)	(12218.66)	(751.72)	(58937.66)
		संबन्धित प्रावधान	1,095.69	12.58	138.97	5.73	1,252.98	3,064.59	126.43	394.14	53.39	3,638.56
			(688.00)	(173.87)	(257.78)	(3.66)	(1123.32)	(2441.53)	(257.10)	(948.40)	(3.81)	(3650.84)

टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान विद्यमान पुनर्संरचित ऋणियों को ₹ 6986.70 करोड़ की अतिरिक्त संस्वीकृति दी गयी है।
2. बकाया राशि में हुई ₹ 3,491.65 करोड़ की वृद्धि नई ऋण राशि में शामिल की गई है।
3. ₹ 3794.15 करोड़ की बंदी और ₹3,827.03 करोड़ की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
4. योग के कालम में उच्च प्रावधानीकरण हेतु अंतरित मानक आस्तियां शामिल नहीं की गयी है।

ग) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए स्टॉक का विवरण एवं उन पर की गई वसूलियाँ :

₹ करोड़ में

विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i)	1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	निरंक	निरंक
ii)	योग: तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	निरंक	निरंक
iii)	उप योग (क)	निरंक	निरंक
iv)	घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	निरंक	निरंक
v)	31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	निरंक	निरंक

घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	खातों की संख्या	5,904	255
ii)	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसा) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	6,981.42	1,487.52
iii)	समग्र प्रतिफल	4,406.07	1,604.92
iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / (हानि)#	(2,575.35)	117.40

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

इसमें ₹ 7.52 करोड़ का मान्य ब्याज शामिल है।

ङ) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेची गई अनर्जक आस्तियों की एवज में निवेश की गई प्रतिभूति रसीदों का विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	बैंक द्वारा अंतर्निहित स्वरूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		अंतर्निहित स्वरूप में अन्य बैंकों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित स्वरूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा संरक्षित		योग	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
31 मार्च 2015 तक प्रतिभूति प्राप्ति में निवेशों का बही-मूल्य	1,427.26	4,703.28	29.37	30.07	1,456.63	4,733.35
वर्ष के दौरान प्रतिभूति प्राप्ति में किए निवेशों का बही-मूल्य	1,311.90	3,337.48	0.98	2.05	1,312.88	3,339.53

च) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेची गई अनर्जक आस्तियों की एवज में निवेश की गई प्रतिभूति रसीदों का विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 को
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तीत	177.42

छ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ज) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की संख्या	1,825	236
2) कुल बकाया राशि	10,852.55	3,725.90
3) कुल प्रस्तावित मूल्य प्रतिफल	4,294.60	1,672.98

झ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

विवरण	31मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	9,018.36	6,575.43

ञ) व्यवसाय अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.61%	7.57%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.13%	1.03%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.94%	1.78%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ*	0.68%	0.65%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	12.34	10.64
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	602.00	485.47

* (निवल आस्ति आधार पर)

ट) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

₹ करोड़ में

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 मास	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	57,851.81	26,454.56	18,078.37	26,277.89	93,336.98	1,39,455.40	2,28,347.53	3,74,749.76	1,68,526.42	4,43,714.53	15,76,793.25
	(79,195.61)	(31,805.04)	(25,840.40)	(26,421.54)	(88,873.24)	(1,04,788.39)	(1,88,422.31)	(2,92,956.16)	(1,48,532.17)	(4,07,573.64)	(13,94,408.50)
अग्रिम	93,953.48	6,324.43	11,181.43	16,981.77	68,614.55	73,835.91	85,919.15	6,42,058.59	1,27,338.29	1,73,818.79	13,00,026.39
	(1,29,202.87)	(7,791.49)	(13,189.69)	(7,071.30)	(41,231.15)	(42,066.55)	(68,304.91)	(5,60,674.65)	(1,30,009.54)	(2,10,286.57)	(12,09,828.72)
निवेश	0.00	829.89	3,679.12	6,646.84	17,213.44	15,488.30	22,612.72	69,509.35	82,072.36	2,76,975.38	4,95,027.40
	(32.25)	(219.80)	(138.78)	(7,597.95)	(15,528.10)	(5,819.14)	(17,899.02)	(52,850.51)	(81,912.51)	(2,16,801.51)	(3,98,799.57)
उधार-राशियाँ	11,052.35	14,325.60	3,967.91	14,275.11	43,859.71	24,441.00	19,666.56	20,958.59	16,620.43	35,983.03	2,05,150.29
	(1,573.81)	(12,195.05)	(5,335.61)	(5,803.97)	(33,984.67)	(21,323.88)	(27,551.44)	(23,574.78)	(19,617.62)	(32,170.05)	(1,83,130.88)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ #	81,569.01	1,910.62	2,541.70	7,449.89	17,120.90	28,290.16	21,562.61	49,095.23	44,185.46	39,850.95	2,93,576.53
	(91,335.00)	(1,933.42)	(2,066.88)	(4,470.93)	(15,883.68)	(11,369.86)	(17,891.03)	(44,682.10)	(40,029.55)	(37,356.73)	(2,67,019.18)
विदेशी मुद्रा देयताएँ $	33,991.88	14,174.37	4,943.86	17,085.47	52,563.89	34,153.04	39,677.83	52,273.23	34,428.42	7,999.68	2,91,291.67
		(13,613.23)	(3,956.01)	(9,385.88)	(47,340.79)	(20,377.06)	(46,983.85)	(49,453.36)	(32,992.43)	(2,274.94)	(254,177.12)

विदेशी मुद्रा आस्तियां, अग्रिम एवं निवेश (उनकी प्रावधान राशि घटाने के बाद) को दर्शाता है।

$ विदेशी मुद्रा देयताएं, ऋण एवं जमा को दर्शाता है।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2014 के हैं)

18.5 ऋण-जोखिम

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i)	आवासीय बंधक	1,83,082.23	1,56,145.83
	ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त हैं या प्राप्त होंगी या जो किराए पर हैं।	1,83,082.23	1,56,145.83
	-जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (10 लाख से कम की जनसंख्या वाले) में ₹ 25 लाख तक एवं अन्य केंद्रों में ₹ 15 लाख तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	94,330.55	69,270.80
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन , खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर-निधि आधारित सीमा भी एक्सपोजर में शामिल है।	20,761.65	17,503.82
iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेश:	614.48	714.76
	क) आवासीय	603.28	453.77
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	11.20	260.99
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	18,930.16	16,799.84
कुल		2,23,388.52	1,91,164.25

ख) पूंजी बाजार

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट - ऋण में निवेश नहीं किया गया है,	3,727.32	3,087.02
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आइपीओ/ इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	8.11	5.04
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	7,358.66	3,191.71
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	308.13	133.55
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	26.87	20.47

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
6)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	285.76	420.77
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	निरंक	निरंक
8)	शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	निरंक	निरंक
9)	शेयरदलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.34	0.41
10)	उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण -जोखिम (पंजीकृत तथा गैर -पंजीकृत दोनों)	1,873.05	1,172.90
पूंजी बाजार में कुल ऋण -जोखिम		13,588.24	8,031.87

ग) जोखिम श्रेणीवार देशगत जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

₹ करोड़ में

जोखिम श्रेणी	ऋण-जोखिम (निवल)		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	1.68	निरंक	निरंक	निरंक
बहुत कम	52,107.06	38,952.89	56.89	निरंक
कम	883.78	240.69	निरंक	निरंक
मध्यम कम	26,774.43	31,557.39	निरंक	21.98
मध्यम	3,148.82	3,413.04	निरंक	निरंक
अधिक	5,790.96	1,085.53	निरंक	निरंक
अत्यधिक	2,296.82	1,938.39	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	3,390.41	2,397.95	निरंक	निरंक
ऋण अयोग्य	0	निरंक	निरंक	निरंक
योग	94,393.96	79,585.88	56.89	21.98

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण - जोखिम सीमा का ब्योरा :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिए :

₹ करोड़ में

उधारकर्ता का नाम	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल)$	35,037.66	40,019.17	अप्रैल 2014 to सितंबर 2014	17,499.24
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल)	21,022.60	25,012.78	जून 2014 to मार्च 2015	20,694.75
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	21,022.60	24,164.15	जून 2014 to मार्च 2015	17,404.42

टिप्पणी :-

विवेकपूर्ण मानदंड से 5% अतिरिक्त का ऋण जोखिम, आईओसीएल, बीएचईएल एवं आरआईएल पर किया गया है जो कि बैंक को आरबीआई द्वारा प्रदत विवेकाधिकार के तहत है, तथा इसमें किसी विवेकपूर्ण मानदंड का उल्लंघन नहीं है।

$ आरबीआई ने आईओसीएल द्वारा लिए गए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 6250 करोड़) को विवेक पूर्ण ऋण जोखिम नियमों के अंतर्गत नहीं रखा है, जो अन्यथा इस ऋण में शामिल है। ₹ 6250 करोड़ को अलग करने के बाद आईओसीएल का ऋण जोखिम ₹ 34,325 करोड़ रह गया है जो बैंक पूंजीगत निधि का 24.49% है।

वर्ष 2014-15 के दौरान सभी उधारकर्ता समूहों के ऋण जोखिम विवेकपूर्ण मानदंड के तहत आते हैं।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	2,59,109.61	1,99,057.88
i)	इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर,लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	5,832.72	5,654.07
ii)	इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर (i) के अनुसार)	6,005.01	24,391.94

18.6. विविध :

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटन

निरंक (पिछले वर्ष ₹ 3.00 करोड़)

प्रूडेंनसियल कंट्रोल एंड रेसोल्यूशन, पेरिसर, फ्रांस के प्राधिकारी द्वारा, यूरो 300,000 का अर्थदंड एसबीआई की पेरिस शाखा पर लगाया गया है।

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थदंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.7 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव

स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास नीति

वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों पर अवमूल्यन की पद्धति को स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) के अनुसार परिवर्तित किया गया है जो उपयोगी जीवन चक्र के आधार पर निर्धारित होता है। जब कि पूर्व में आयकर दर के साथ डब्लूडीवी मेथड का प्रयोग किया जाता था। इस परिवर्तन के बाद पूर्व अवधि की ₹ 465.22 करोड़ की मूल्यह्रास अतिरिक्त पायी गयी और इस वर्ष के लिए प्रभारित की गई मूल्यह्रास ₹ 44.46 करोड़ से अधिक है। परिणामस्वरूप, स्थायी आस्तियां और कर से पूर्व लाभ ₹ 420.76 करोड़ से अधिक है।

ख) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1.क) पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

कर्मचारी की पेंशन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	45,236.99	39,564.21	6,838.07	7,050.57
वर्तमान सेवा लागत	897.53	872.37	108.88	151.79
ब्याज लागत	4,193.47	3,362.96	639.36	581.67
पूर्व सेवा लागत(निहित लाभ)	-	-	-	-
एक्चुरियल हानि (लाभ)	4,537.90	4,200.33	533.18	(135.41)
संदत्त लाभ	(1,346.63)	(58.67)	(937.14)	(810.55)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(1,903.22)	(2,704.21)	-	-
31 मार्च 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6,838.07
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	42,277.01	35,017.57	7,090.59	6,549.31
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,678.10	3,011.51	616.88	569.79
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2493.62	3,971.20	233.88	758.17
प्रदत्त हितलाभ	(1,346.63)	(58.67)	(937.14)	(810.55)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,285.87	335.40	106.04	23.87
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7,090.59
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6,838.07
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7,090.59
कमी/(अधिशेष)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	51,616.04	45,236.99	7,182.35	6,838.07
आस्तियाँ	49,387.97	42,277.01	7,110.25	7,090.59
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएं/आस्तियां	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	897.53	872.37	108.88	151.79
ब्याज लागत	4,193.47	3,362.96	639.36	581.67
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(3,678.10)	(3,011.51)	(616.88)	(569.79)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) इतिशेष	-	-	-	200.00
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) इतिशेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	2,252.03	3,864.93	427.14	(159.28)
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	3,664.93	5,088.75	558.50	204.39
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,678.10	3,011.51	616.88	569.79
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,285.87	335.40	106.04	23.87
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	5,963.97	3,346.91	722.92	593.66
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	2,959.98	4,546.64	(252.52)	301.26
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3,664.93	5,088.75	558.50	204.39
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(1,903.22)	(2,704.21)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित निधि में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,493.62)	(3,971.20)	(233.88)	(758.17)
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	2,228.07	2,959.98	72.10	(252.52)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना- आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.53	24.34
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.45	17.66
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	41.15	32.54
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-	22.23
अन्य	3.87	3.23
योग	100.00	100.00

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	**पेंशन योजनाएँ**		**ग्रेच्युटी योजनाएँ**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	8.21%	9.27%	8.21%	9.35%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

तुलन - पत्र में ली गई राशि	**31-03-2010 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2013 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2014 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2015 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के अंत में देयता	3,889.14	5,817.19	6,462.82	7,050.57	6,838.07	7,182.35
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,811.28	4,102.25	5,251.79	6,549.31	7,090.59	7,110.25
अंतर	77.86	1,714.94	1,211.03	501.26	(252.52)	72.10
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	400.00	300.00	200.00	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	77.86	1,314.94	911.03	301.26	(252.52)	72.10

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि:	**31-03-2010 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2013 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2014 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2015 को समाप्त वर्ष**
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	(0.40)	879.37	367.64	459.56	210.19	(24.69)
योजना आस्ति पर लाभ/ (हानि)	7.89	1.94	32.58	62.46	23.87	106.04

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

तुलन पत्र में ली गई राशि	**31-03-2010 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2013 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2014 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2015 को समाप्त वर्ष**
वर्ष के अंत में देयता	21,715.61	33,879.30	36,525.68	39,564.21	45,236.99	51,616.04
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	14,714.83	16,800.10	27,205.57	35,017.57	42,277.01	49,387.97
अंतर	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64	2,959.98	2,228.07

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन पत्र में ली गई राशि	**31-03-2010 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2013 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2014 को समाप्त वर्ष**	**31-03-2015 को समाप्त वर्ष**
योजना देयता (लाभ) / हानि	5,252.37	1,188.70	1,677.80	345.90	7,709.67	1,732.86
योजना आस्ति (हानि) / लाभ	233.12	282.65	130.16	419.58	335.40	2,285.87

ख) भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है, लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

ग) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक ने योजना आस्तियों का मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में उचित मूल्य से बही मूल्य नीति का पालन किया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप योजना आस्तियों का मूल्य पेंशन योजना के संदर्भ में ₹ 2069 करोड एवं ग्रैचुइटी निधि के संदर्भ में ₹ 113.87 करोड की वृद्धि हुई है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन, कोई भी देयता प्रतिबद्धता नहीं दिखाता। अत: वित्तीय वर्ष 2014 -15 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दिखाया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	21,804.39	20,742.83
वर्तमान सेवा लागत	527.14	529.53
ब्याज लागत	1869.09	1,838.65
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	661.66	656.87
बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-
संदत्त लाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
31 मार्च 2015 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	22,498.51	21,804.39
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	22,366.42	21,223.41
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,869.09	1,838.65
अंशदान	1,188.80	1,186.40
प्रदत्त हितलाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	137.28	81.45
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष		
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान	23,197.82	22,366.42
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य		
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22,498.51	21,804.39
कमी/(अधिशेष)	23,197.82	22,366.42
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	(699.31)	(562.03)
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत	699.31	562.03
वर्तमान सेवा लागत		
ब्याज लागत	527.14	529.53
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1869.09	1,838.65
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	(1,869.09)	(1,838.65)
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 “कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान” में शामिल किया गया है.	-	-
तुलन पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान	527.14	529.53
1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ		
उपरोक्तानुसार व्यय	-	-
नियोक्ता का अंशदान	527.14	529.53
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	(527.14)	(529.53)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि के योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.62
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.88
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	0.14
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बांड	36.05
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-
अन्य	4.31
योग	100.00

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21%	9.35%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%

ii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार की देखरेख में किया जाएगा। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014 - 15 में ₹ 145.51 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹ 115.25 करोड़ था)

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ

₹ 636.97 करोड़ (पिछले वर्ष (-) ₹ 164.29 करोड़) की राशि का प्रावधान दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का ₹ करोड़ में

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	677.02	366.46
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	(51.00)	(33.11)
3	अस्वस्थता अवकाश	-	(392.42)
4	रजत जयंती अवार्ड	1.71	(22.99)
5	अधिवर्षता पर पुनर्निपटान व्यय	6.22	(2.07)
6	आकस्मिक अवकाश	-	(82.55)
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	3.02	2.39
योग		636.97	(164.29)

ग) खंड सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

i) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) **कोष -** कोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलत: व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है.

ii) **कारपोरेट/थोक बैंकिंग-**कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण-गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii) **खुदरा बैंकिंग-**खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय -** जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कोषीय एवं कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।

IV) व्यय , आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/ सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं. बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अत: इन्हें अनाबंटित टियर में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	कोष	कारपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
राजस्व #	41,095.95	61,445.90	71,248.38	-	1,73,790.23
	(34,763.95)	(54,180.43)	(65,543.48)	(-)	(1,54,487.86)
अनाबंटित राजस्व #					1,182.73
					(415.86)
कुल राजस्व					1,74,972.96
					(1,54,903.72)
परिणाम #	7,554.38	-308.47	14,758.80	-	22,004.71
	(2800.61)	(884.27)	(15,762.74)	(-)	(19,447.62)
अनाबंटित आय (+)/					-2,690.75
व्यय(-) -निवल#					(-3273.73)
परिचालन लाभ #					19313.96
					(16,173.89)
कर #					6,212.39
					(5,282.72)
असाधारण लाभ #					-
					-
निवल लाभ #					13,101.57
					(10,891.17)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियाँ*	5,12,933.07	7,83,222.15	7,35,200.07	-	20,31,355.29
	(4,23,098.66)	(7,07,907.27)	(6,45,978.57)	(-)	(17,76,984.50)
अनाबंटित आस्तियाँ*					16,724.51
					(15,763.79)
कुल आस्तियाँ*					20,48,079.80
					(17,92,748.29)
खंड देयताएँ*	3,08,334.71	6,88,172.53	8,68,722.52	-	18,65,229.76
	(2,14,629.31)	(6,20,852.90)	(7,87,170.47)	(-)	(16,22,652.68)
अनाबंटित देयताएँ*					54,411.81
					(51,813.36)
कुल देयताएँ *					19,19,641.57
					(16,74,466.04)

(कोष्ठकों मे दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

₹ करोड़ में

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय #	1,64,304.43	1,45,647.12	9,485.80	8,840.74	1,73,790.23	1,54,487.86
परिणाम #	17,746.10	16,377.14	4,258.61	3,070.48	22,004.71	19,447.62
आस्तियाँ *	17,47,311.56	15,25,258.51	3,00,768.24	2,67,489.78	20,48,079.80	17,92,748.29
देयताएँ *	16,18,873.33	14,06,976.26	3,00,768.24	2,67,489.78	19,19,641.57	16,74,466.04

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

घ) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

र. देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई(मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआइ लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप वैंचर्स लि.
6. एसबीआईकैप ट्रस्टी कं. लि.
7. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सेकुरीटीज सर्वीसेज प्रा.लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (यूके) लि.
2. एसबीआईफंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी हन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंटफंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा.लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंटफंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मेघालय ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम रूरल बैंक
9. नागालैंड रूरल बैंकर
10. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. मरुधरा ग्रामीण बैंक (31.03.2014 तक)
16. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (दिनांक 01.04.2014 से एसबीबीजे द्वारा प्रायोजित मरुधरा ग्रामीण बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक के विलय द्वारा निर्मित)
17. तेलंगाना ग्रामीण बैंक (20.10.2014 से) (पूर्ववर्ती डेक्कन ग्रामीण बैंक)
18. कावेरी ग्रामीण बैंक
19. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (30.04.2014 तक)
3. श्री ए. कृष्ण कुमार,
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (16.04.2014 तक)
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (अतिरिक्त कार्यभार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)(01.05.2014 से 16.07.2014 तक)
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (17.04.2014 से 30.11.2014 तक)
4. श्री एस विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (30.04.2014 तक)
5. श्री पी प्रदीप कुमार,
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (अतिरिक्त कार्यभार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (01.05.2014 से 16.07.2014 तक)
   - प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)
6. श्री वी जी कन्नन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी) (17.07.2014 से)
7. श्री बी श्रीराम, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (17.07.2014 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार - नियंत्रित उद्यम" रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

3. लेनदेन और शेष राशियाँ:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
क) 31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा राशि	35.80	-	35.80
	(95.32)	(-)	(95.32)
अन्य देयताएं	0.02	-	0.02
	(0.82)	(-)	(0.82)
बैंकों में शेष	2.12	-	2.12
	(-)	(-)	(-)
अग्रिम	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	-	-	-
		(-)	(-)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
ख) वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा राशि	57.06	-	57.06
	(100.75)	(-)	(100.75)
अन्य देयताएं	0.02	-	0.02
	(0.82)	(-)	(0.82)
बैंकों में शेष	5.94	-	5.94
	(-)	(-)	(-)
अग्रिम	-	-	-
	(2.02)	(-)	(2.02)
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	-	-	-
		(-)	(-)
ग) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
आय- ब्याज	-	-	-
	(0.02)	(-)	(0.02)
खर्च-ब्याज	2.78	-	2.78
	(4.00)	(-)	(4.00)
लाभांश से अर्जित आय	33.82	-	33.82
	(12.24)	(-)	(12.24)
अन्य आय	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
अन्य व्यय	3.09	-	3.09
	(-)	(-)	(-)
भू-भाग/भवन और अन्य आस्तियां की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
प्रबंधन संविदाएँ	-	1.03	1.03
		(1.08)	(1.08)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी का लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है.

ङ) **परिचालन पट्टे हेतु देयताएं :**

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	191.05	135.06
1 वर्ष के पश्चात और 5 वर्षों के पश्चात नहीं	674.79	434.85
5 वर्षों के पश्चात	178.17	109.27
योग*	1044.01	679.18
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	1659.09	153.90

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास, जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जाना है, शामिल हैं.

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

च) **प्रति शेयर उपार्जन*:**

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर "मूल आय" की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरम्भ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	684,03,39,710
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	0	62,53,91,210
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	746,57,30,920
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	746,57,30,920	6,94,78,39,100
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	7,46,60,06,199	6,94,78,39,100
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	13,101.57	10,891.17
प्रति शेयर मूल आय (₹)	17.55	15.68
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	17.55	15.68
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1	1

*बैंक शेयर के अंकित मूल्य को दिनांक 22.11.2014 से ₹10 से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर कर दिया गया है।

सभी शेयर और प्रति शेयर सूचना प्रस्तुत करने की प्रत्येक अवधि हेतु उपविभाजन का प्रभाव दर्शाती है।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना दिनांक 1 अप्रैल 2015 को आबंटिन इक्विटी शेयरो के लिए प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर की गई है।

छ) **आय पर कर का लेखांकन**

i) वर्तमान कर :

वर्तमान कर के रूप बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 6,719.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4,359.75 करोड़) नामे किए हैं । भारत में वर्तमान कर की गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान कर में उपयुक्त कर छूट ली गई है।

ii) आस्थगित कर

क) वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹477.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1055.25 करोड़ नामे किया गया) नामे किया गया।

iii) बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹ 1,987.14 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹2,837.84 करोड़) है, जिसमें ₹2,353.12 करोड़ सम्मिलित है) अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत रखा गया है। (डीटीए) अन्य आस्तियों में ₹365.98 करोड़ शामिल है। प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	451.63	72.05
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,831.55	1,235.19
प्रावधान/निर्दिष्ट पुनर्संरचित मानक आस्तियां के लिए अतिरिक्त प्रावधान/ आरबीआई के निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड के तहत मानक आस्तियां	1,132.65	516.43
विदेशी कार्यालयों के कारण निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	364.19	511.82
योग	3,780.02	2,335.49

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	155.22	8.56
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3,286.61	3,280.02
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(VIII) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	2,325.33	1,884.74$
योग	5,767.16	5,173.32
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	(1,987.14)	(2,837.83)

* आयकर खाता में अंतरित ₹ 371.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 336.62 करोड़ आयकर खाता से अंतरित) शामिल है।

$ भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार राजस्व एवं अन्य आरक्षितों से ₹1,525.13 करोड़ का अंतरण भी शामिल हैं।

ज) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹ 38.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.28 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	9.44	भारत	40%
		(9.44)		
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90	भारत	49%
		(4.90)		
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25	सिंगापुर	45%
		(2.25)		
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57	भारत	45%
		(18.57)		
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03	भारत	45%
		(0.03)		
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.78	बरमुडा	45%
		(0.78)		
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30	भारत	50%
		(2.30)		
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01	भारत	50%
		(0.01)		

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 100% प्रावधान किया है (वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए अतिरिक्त निवेश को छोड़कर) (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 15 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 14 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	159.14	130.61
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	8.15	10.91
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	76.93	109.30
योग	244.22	250.82
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमाराशियाँ	-	-
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	96.36	111.79
निवेश	9.69	0.65

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 15 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 14 की स्थिति के अनुसार
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	35.75	42.03
अन्य आस्तियाँ	102.42	96.35
योग	244.22	250.82
पूँजी वायदे		
अन्य आकस्मिक देयताएँ	3.51	2.95
आय		
अर्जित ब्याज	6.09	6.13
अन्य आय	285.04	249.15
योग	291.13	255.28
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.23	1.52
परिचालन व्यय	223.70	198.54
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	18.73	13.97
योग	243.66	214.03
लाभ	47.47	41.25

झ) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो।

ञ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक 29)

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा. बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का भी एक पक्ष है.
2	अंशत: प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि पर देयताएँ	यह मद अंशत: चुकता निवेशों की चुकाने हेतु शेष राशि के प्रति देयता दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं ।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य कार्य-व्यवसाय के भाग स्वरूप विदेशी विनिमय संविदाएं करता है जिसमें विदेशी मुद्रा को भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। आनुमानिक राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय बैंक सामान्य तौर पर अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसके फलस्वरूप बकाया लेनदेनों की संख्या में वृद्धि होती है। अत: पोर्टफोलिओ की सकल आनुमानिक पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बनता है जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक सहभागिता से मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। मुद्रा विनिमय पूर्वनिर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/पूंजी को एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के नकदी प्रवाहों की प्रतिबद्धताएं है। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई आनुमानिक राशि को संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि खाता के अंतर्गत बैंक की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ट) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	327.31	256.21
वर्ष के दौरान वृद्धि	206.59	87.59
वर्ष के दौरान कमी	90.32	16.49
इति शेष	443.58	327.31

18.8 अतिरिक्त प्रकटन

i. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	6,719.11	4,359.74
- आस्थगित कर	(477.56)	1,055.25
- आय कर/फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	(39.16)	(142.28)
- अन्य कर	10.00	10.00
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(590.07)	563.25
प्रतिचक्रीय बफर से आहरण	(382.00)	(750.00)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	16,863.64	14,478.45
पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	802.65	495.12
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,435.37	1,260.69
अन्य प्रावधान	469.95	(112.16)
योग	25,811.93	21,218.06

2. अस्थायी प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इति शेष	25.14	25.14

3) आरक्षितियों से आहरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आयकर अधिनियम के धारा 36(1) (viii) के अधीन बनाए गए विशेष आरक्षित निधि से संबंधित आस्थिगत कर देयताएँ	-	1,525.13

4. शिकायतों की स्थिति :

क) ग्राहक शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	21,413	32,705
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16,34,042	15,03,638
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	16,24,559	15,14,930
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	30,896	21,413

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	9	28
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	39	63
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	33	82
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	15	9

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित मूलधन या ब्याज के भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपने अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2015 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹ 715.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1914.97 करोड़) रही. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं।

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2015 तक बैंक का अर्नजक आस्तियां अनुपात हेतु 69.13% प्रावधानीकरण किया गया है। (पिछला वर्ष 62.86%)

8. बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	281.16	222.05
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	62.86	48.41
मनु लाइफ फाइनंसियल लि. एवं (एनटीयूसी)	0.57	0.61
टोकियो मैरिन, एसीई	0.21	1.52
योग	344.80	272.59

9. जमाराशियों/अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का क्रेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	1,01,148.22	1,03,157.26
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.41%	7.40%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	2,06,512.83	2,22,862.28
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस वृहतम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	15.46%	17.90%

ग) ऋण - जोखिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण - जोखिम	3,45,152.13	3,32,789.45
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस वृहतम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण - जोखिम का प्रतिशत	15.88%	16.88%

घ) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	1,839.51	4,782.78

10 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

₹ करोड़ में

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,12,752.88	10,216.74	9.06	1,09,783.93	10,327.11	9.41
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	65,699.72	7,087.13	10.79	65,688.11	4,174.09	6.35
3	सेवाएं	26,146.41	1,699.94	6.50	26,803.49	2,424.62	9.05
4	वैयक्तिक ऋण	90,352.32	1,202.51	1.33	80,907.18	1,659.29	2.05
	उप-योग (क)	2,94,951.33	20,206.32	6.85	2,83,182.71	18,585.11	6.56
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	5,024.05	199.91	3.98	20,282.48	224.86	1.11
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	7,54,514.38	31,167.29	4.13	9,36,507.69	34,566.58	3.69
3	सेवाएं	1,75,822.54	4,017.66	2.29	1,54,668.80	6,977.35	4.51
4	वैयक्तिक ऋण	1,93,469.42	1,152.20	0.60	1,74,799.43	1,679.34	0.96
	उप-योग (ख)	11,28,830.39	36,537.06	3.24	12,86,258.40	43,448.13	3.38
ग	**योग (क) + (ख)**	14,23,781.72	56,743.38	3.99	15,69,441.11	62,033.24	3.95

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,00,768.24	2,67,489.78
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	2,618.65	3,786.64
3	कुल राजस्व	9,485.80	8,840.74

12. तुलनपत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	संख्या	राशि
1	प्रतिभूतिकरण लेन - देन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम	निरंक	निरंक
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम	निरंक	निरंक
	i) प्रथम हानि		
	ii) अन्य		
4	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन - देन से संबंधित जोखिम की रकम		
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम		
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम	निरंक	निरंक
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम		
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ख) तुलन पत्र जोखिम	निरंक	निरंक
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम		
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम		
	1. प्रथम हानि		
	2. अन्य		

ग . ऋण चूक स्वैप

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा				
	क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किए गए				
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) पिछले वर्ष से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
4	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च/हानि)				
	क) प्रीमियम अदा /प्राप्त किया गया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	डअदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	डप्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	31 मार्च तक बकाया लेनदेन				
	क) लेनदेनों की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) संरक्षण की मात्रा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया				
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	निरंक	निरंक	1
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	निरंक	निरंक	59.39

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

विवरण		
i	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	15,442.79
ii	बीस बड़े अंतरा-समूह एक्सपोज़र की राशि	15,442.79
iii	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.71
iv	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	-

16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अथ शेष	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	757.14
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	-
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	757.14

17. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम वाली इकाइयों की जोखिम के लिए पूंजी एवं प्रावधान आवश्यक्ताओं के संबंध में भा. रि. बैंक परिपत्र क्र. डीबीओडी. क्र बीपी. बीसी. 85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार बैंक ने मुद्रा प्रभावित ऋण जोखिम के लिए ₹ 293.08 करोड़ का प्रावधान किया है और मुद्रा प्रभावित ऋण जोखिम के लिए ₹ 408.44 करोड़ की वृद्धिशील पूंजी का आबंटन किया है।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात :

क) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही पर औसत	
		कुल अभारित कीमत (औसत)	कुल भारित कीमत (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियाँ			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		2,13,955.16
नकदी बहिर्गमन			
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ, जिनमें से :		
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	1,27,899.26	6,394.96
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	9,25,435.65	92,543.57
3	अप्रतिभूत थोक निधियन, जिनमें से :		
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	86,182.04	20,631.04
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	3,09,173.95	1,86,209.20
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक निधियन	16,291.56	1,298.81
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से :		
(i)	डेरीवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,48,530.11	1,48,530.11
(ii)	उधार उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00
(iii)	ऋण वं तरलता सुविधाएं	1,26,665.91	19,134.19
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	11,087.96	11,087.96
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	3,33,646.81	16,682.33
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**	20,84,913.25	5,02,512.17
नकदी अंतर्वाह			
9	प्रतिभूत ऋणान्वयन (उदाहरणत: प्रतिवर्ती रेपो)	5,090.33	0.00
10	पूर्णत: निष्पादन करने वाले एक्सपोज़र से अंतर्वाह	2,13,473.88	1,94,324.78
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	44,652.23	44,652.23
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	2,63,216.44	2,38,977.01
13	**कुल एचक्यूएलए**		2,13,955.16
14	**कुल निवल नकदी बहिर्गमन**		2,63,535.16
15	**चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)**		81.19%

ख) गुणात्मक प्रकटन

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ अपनाया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर रखें जिन्हें नकदी में परिवर्तित कर अत्यधिक चलनिधि तनाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिन की समयावधि हेतु चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। चल आस्तियों के स्टॉक से बैंक को 30 दिनों के तनावपूर्ण परिदृश्य में बैंक को कार्यक्षम रखने की क्षमता होनी चाहिए। अनुमान किया जाता है कि इस समय तक उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जनवरी 2015 के आरंभ में एलसीआर को 60% तक अनिवार्य किए गए हैं जो समान चरणों में 10% बढ़ते हुए जनवरी 2019 तक 100% तक पहुँच जाएगा।

एलसीआर को "उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)" के रूप में परिभाषित किया गया है।

अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्तायुक्त आस्तियाँ शामिल है जिनकी बिक्री त्वरित की जा सकती है या तनाव के परिदृश्य में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 11 आस्तियाँ 0% मार्जिन वाली है जबकि स्तर 2 क आस्तियाँ न्यूनतम 15% मार्जिन और स्तर 2 ख आस्तियाँ न्यूनतम 50% मार्जिन वाली हैं।

कुल निवल नकदी बहिर्गमन अर्थात कुल अनुमानित नकदी बहिर्गमन में से तत्पश्चात 30 कैलेन्डर दिनों हेतु कुल अनुमानित नकदी प्रवाह को घटाना। कुल अनुमानित नकदी अंतर्वाह और बहिर्गमन की गणना विविधि श्रेणियों की संविदागत प्राप्य राशियों की बकाया शेष और देयताओं के प्रकार और तुलन-पत्रेतर प्रतिबद्धताओं को उस दर से गुणाकर की जाती है जिस दर से प्रवाह का अनुमानित अंतर्वाह या आहरण होता है।

बैंक में चलनिधि प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति (एएलएल) द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। देशीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरिज, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) को रिपोर्ट करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियन के स्रोत सुविभाजित हो और वह बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं। मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के साथ-साथ बैंक दैनिक चलनिधि विवरण तैयार करता है ताकि बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। आगे, गतिशील चलनिधि रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं ताकि चलनिधि आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जा सके और तदनुसार कार्यनीति बनाई जा सके।

19. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

20. बकाया वेतन करार

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों के पक्ष से बैंक कर्मियों के अखिल भारतीय संगठनों के साथ किए गए नौवा द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो चुका है। भारतीय बैंक संघ के साथ 1 नवम्बर 2012 से लंबित वेतन समझौता के अनुकूल क़रारनामा के आधार पर यह मानते हुए कि सैलरी स्लिप कॉम्पोनेंट के वेतन एवं भत्ते में 15% की वृद्धि होगी वर्ष के दौरान ₹ 2406 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1814 करोड़) का प्रावधान किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अधिवर्षिता योजनाओं और अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹540 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 540 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।

31 मार्च 2015 के वेतन संशोधन (जिसमें अधिवर्षिता और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हित शामिल है) के कारण बैंक द्वारा ₹ 6245 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3299 करोड़) का कुल प्रावधान किया गया है।

21. पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 26 फरवरी 2014 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 98/21.04.132/2013-14 के अनुसार पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹ 2803.19 करोड़ की कमी को दो वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है । तदनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते को ₹ 623.78 करोड़ की राशि प्रभारित की गई । 31 मार्च 2015 को ₹ 2179.42 करोड़ की राशि अपरिशोधित है।

22. प्रति-चक्रीय सुरक्षित

भारतीय रिजर्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 7 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. सं.बीपी.95/21.04.048/2013-14 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च 2013 तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सी सी पी बी) के 33% तक को संबन्धित बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है । तदनुसार बैंक ने ₹382 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹750 करोड़ उपयोग किया गया) की सीसीपीबी का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति एवं बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है ।

23. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है। जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण 31मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 000 में)

विवरण		31.03.2015 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		19313,96,20	16173,88,65
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1116,49,32	1333,93,66
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		42,74,99	38,64,16
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		--	202,68,32
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान		17284,28,50	14223,56,87
मानक आस्तियों पर प्रावधान		2435,37,49	1260,68,85
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(590,07,29)	563,25,29
अन्य प्रावधान		469,95,29	(112,16,01)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश (निवेश कार्यकलाप)		(677,03,43)	(496,85,99)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप)		3822,78,30	3686,48,24
		43218,49,37	36874,12,04
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		182384,74,02	191668,93,05
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		22057,84,75	11596,29,40
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि/(कमी)		(94192,97,80)	(47418,49,03)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(107481,95,87)	(178435,73,48)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		34275,79,04	(473,80,50)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(28436,59,97)	11433,09,86
		51825,33,54	25244,41,34
कर भुगतान		(4258,90,17)	(11136,99,51)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	47566,43,37	14107,41,83
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि)/कमी		(1444,77,30)	(1269,51,21)
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों से प्राप्त लाभांश		677,03,43	496,85,99
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2490,36,07)	(2333,01,64)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	(3258,09,94)	(3105,66,86)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम पर से प्राप्त राशि		--	10006,02,70
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम (मोचन) से प्राप्त राशि		2970,00,00	--
पूंजीगत लिखतों का निर्गम (मोचन)		(200,00,00)	2000,00,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(3822,78,30)	(3686,48,24)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		(1236,33,43)	(4508,37,72)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त /(में प्रयुक्त)निवल नकदी	**(ग)**	(2289,11,73)	3811,16,74
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों पर प्रभाव	**(घ)**	292,45,39	2916,55,11
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(क)+(ख)+(ग)+(घ)	42311,67,09	17729,46,82
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		132549,63,27	114820,16,45
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		174861,30,36	132549,63,27

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री वी. जी. कन्नन
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एएण्डएस)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (एनबी)

श्री पी. प्रदीप कुमार
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सीबी)

निदेशक

श्री एम. डी माल्या
श्री सुनील मेहता
श्री दीपक आई. अमिन
श्री एस. के. मुखर्जी
श्री हरिचन्द्र बहादुर सिंह
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,
वित्तीय विवरणियों की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च, 2015 की वित्तीय विवरणियाँ जिसमें 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीय) शाखाओं के जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है।

   ii) 8928 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की तथा

   iii) विदेश स्थित 52 शाखाएं जिसकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की; और

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया. तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 8144 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाइयों सहित) की विवरणियां भी शामिल है, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 4.19%, जमाराशियों में 17.54%, ब्याज आय में 5.30% तथा ब्याज व्यय में 16.26% है।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा - नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है. इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबन्धित है, ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है. इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2015 को

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

iii) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यानाकर्षण

7. हम अनुसूची 18 की लेखा-टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

   i) टिप्पणी 18.7 पैरा (क): अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की पद्धति दर में परिवर्तन, परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 420.76 करोड़ की वृद्धि हुई।

   ii) टिप्पणी 18.7 पैरा (ख (i) (1 ग): दीर्घावधि हितलाभ की योजना अस्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से बदलकर उचित मूल्य पर कर दिया गया, परिणामस्वरूप योजना आस्तियों की राशि में ₹ 2182.87 करोड़ की वृद्धि हुई।

   iii) 18.8 का पैरा क: अचल आस्ति में मूल्यह्रास की पद्धति/दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ में ₹ 420.76 करोड़ की वृद्धि हुई।

   iv) पैरा 18.8 ख (ग) ग: दीर्घावधि सुविधायुक्त योजनागत आस्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से उचित मूल्य पर करने के परिणामस्वरूप मूल्य योजना आस्तियों में ₹ 2182.87 करोड़ की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन का सीमाओं के अंतर्गत हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि:

   क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है.

   ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं.

   ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रभाव विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप है।

कृते एस. वेंकटराम एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. नारायणस्वामी
भागीदार: स.सं. 002161
फर्म पंजी. सं. 004656 S

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार

सुनिर्मल चटर्जी
भागीदार: स.सं.: 017361
फर्म पंजी. सं.: 309005E

कृते प्रकाश एंड संतोष
सनदी लेखाकार

जी के मिश्रा
भागीदार: स.सं.: 074586
फर्म पंजी. सं.: 000454C

कृते मेहरा गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं.: 006102
फर्म पंजी. सं.: 000517N

कृते एस. एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप कुमार मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079E

कृते वी.पी. आदित्य एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरेंद्र कक्कड़
भागीदार: स.सं.: 071912
फर्म पंजी. सं.: 000542C

कृते धमीजा सुखीजा एंड कं.
सनदी लेखाकार

प्रभात सुखीजा
भागीदार: स.सं.: 514761
फर्म पंजी. सं.: 000369N

कृते टी आर चढ्ढा एंड कं.
सनदी लेखाकार

विकास कुमार
भागीदार: स.सं.: 075363
फर्म पंजी. सं.: 006711N

कृते एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

जी एस कृष्णामूर्ति
भागीदार: स.सं.: 013841
फर्म पंजी. सं.: 003790S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस वेंकटरामन
भागीदार: स.सं.: 034319
फर्म पंजी. सं.: 109208W

कृते एस. एन. नंदा एंड कं.
सनदी लेखाकार

गौरव नंदा
भागीदार: स.सं.: 500417
फर्म पंजी. सं.: 000685N

कृते श्रीरामामूर्ति एंड कं.
सनदी लेखाकार

जे. ललिता
भागीदार: स.सं.: 201855
फर्म पंजी. सं.: 003032S

कृते के. बी. शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार

हेमंत शर्मा
भागीदार: स.सं.: 503080
फर्म पंजी. सं.: 002318N

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

क्षितिज छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 061087
फर्म पंजी. सं.: 305123E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	746,57,31	746,57,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	160640,96,97	146623,96,30
अल्पांश हित		5497,11,75	4909,15,07
जमाराशियाँ	3	2052960,78,88	1838852,35,65
उधार राशियाँ	4	244663,46,71	223759,70,95
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	235601,10,84	181603,54,89
योग		**2700110,02,46**	**2396495,30,17**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	144287,54,67	114095,60,38
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	64299,02,29	53065,74,09
निवेश	8	695691,75,26	579401,26,21
अग्रिम	9	1692211,33,41	1578276,68,60
अचल आस्तियाँ	10	12379,29,52	10559,78,10
अन्य आस्तियाँ	11	91241,07,31	61096,22,79
योग		**2700110,02,46**	**2396495,30,17**
आकस्मिक देयताएँ	12	1190338,69,09	1172565,68,45
संग्रहण के लिए बिल		105970,51,47	90196,99,38
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस.वेंकटराम एण्ड कं**
सनदी लेखाकार

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 002161
फर्म पंजी सं. : 004656एस

(वी. जी कन्नन)
एमडी एवं जीई (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एमडी एवं जीई (एनबी)

(पी. प्रदीप कुमार)
एमडी एवं जीई (सीबी)

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1प्रति शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000 शेयर ₹ 10 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 746,65,61,670 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1(पिछले वर्ष 74,66,56,167 इक्विटी शेयर, ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर)	746,65,61	746,65,61
अभिदत्त और संदत्त पूंजी: 746,57,30,920 इक्विटी शेयर, प्रति (पिछले वर्ष 10 प्रति इक्विटी शेयर के 74,65,73,092) प्रतिनिधित्व 160,43,156 (पिछले वर्ष 79,36,777) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद*	746,57,31	746,57,31
[उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 16,04,31,560 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹10 के 1,58,73,554 ईक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं, जो 1,60,43,156 (पिछले वर्ष 79,36,777) वैश्विक डिपाजिटरी के रूप में हैं]**		
योग	**746,57,31**	**746,57,31**

* बैंक के इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 22 नवम्बर 2014 (रिकॉर्ड तिथि 21 नवम्बर 2014) से, दिनांक 24 सितम्बर 2014 के संकल्प के अनुसार ₹ 10 प्रति शेयर से घटाकर ₹ 1 प्रति शेयर किया गया है।

** जी डी आर/इक्विटी शेयर अनुपात 24 नवम्बर 2014 से 1:2 से 1: 10 में परिवर्तित किया गया है ।

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	52885,09,44		48821,44,55	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4904,63,53		4097,28,24	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	57789,72,97	33,63,35	52885,09,44
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	2500,48,95		2213,06,84	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	315,51,31		292,76,10	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	2816,00,26	5,33,99	2500,48,95
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	41444,68,60		31501,19,81	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		9969,10,90	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	41444,68,60	25,62,11	41444,68,60
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6759,69,99		4014,33,11	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	98,24,78		2745,36,88	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	92,23,84	6765,70,93	-	6759,69,99

अनुसूचियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	41001,62,17		36376,40,52	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	8228,28,70		6713,92,18	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	20,94,28	49208,96,59	2088,70,53	41001,62,17
VI	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		2615,87,62		2032,37,15
योग			**160640,96,97**		**146623,96,30**

\# इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹237,49,80 हजार (पिछले वर्ष ₹ 139,10,45 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	7247,03,57	6955,65,38
		(ii) अन्य से	145818,36,10	133990,18,85
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	656490,39,45	600847,75,93
	III.	सावधि जमाराशियाँ		
		(i) बैंकों से	11852,80,26	35590,60,70
		(ii) अन्य से	1231552,19,50	1061468,14,79
	योग		**2052960,78,88**	**1838852,35,65**
ख.	I.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1948918,04,67	1737448,77,50
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	104042,74,21	101403,58,15
	योग		**2052960,78,88**	**1838852,35,65**

अनुसूचियाँ

अनूसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में उधार-राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		5798,75,00		17292,63,00
	(ii) अन्य बैंक		3579,39,47		2662,80,15
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		18761,45,07		26481,13,18
	(iv) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3890,00,00		3890,00,00	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	47929,81,20	51819,81,20	46961,61,20	50851,61,20
योग			**79959,40,74**		**97288,17,53**
II.	**भारत के बाहर से उधार-राशियाँ**				
	(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		160735,38,97		122676,84,67
	(II) पूंजीगत लिखत				
	क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	3906,25,00		3744,68,75	
	ख) गौण ऋण एवं बांड	62,42,00	3968,67,00	50,00,00	3794,68,75
योग			**164704,05,97**		**126471,53,42**
कुल योग (I व II)			**244663,46,71**		**223759,70,95**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ			**13595,79,97**		**11613,32,53**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	24904,60,85	23548,35,60
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	321,30,21	466,14,52
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	39770,62,75	2290,42,65
IV.	प्रोद्भूत ब्याज	25563,20,50	20597,45,39
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2667,22,18	3912,67,15
VI.	बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	70098,11,58	56846,15,54
VII.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)*	72276,02,77	73942,34,04
योग		**235601,10,84**	**181603,54,89**

* इसमें ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त 2970,00,00 हजार की शेयर आवेदन राशि शामिल है।

अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	17753,63,55	14849,14,48
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	126533,91,12	99246,45,90
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**144287,54,67**	**114095,60,38**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	247,81,87	1026,89,51
(ख) अन्य जमा खातों में	22349,75,06	15630,13,06
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	3799,23,66	4135,31,12
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	100,48,66
योग	**26396,80,59**	**20892,82,35**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	22355,46,00	11324,56,64
(ii) अन्य जमा खातों में	2631,23,59	3927,18,74
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	12915,52,11	16921,16,36
योग	**37902,21,70**	**32172,91,74**
कुल योग (I एवं II)	**64299,02,29**	**53065,74,09**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I	**भारत में निवेश :**		
	(I) सरकारी प्रतिभूतियाँ	517554,20,64	436532,69,44
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3516,13,23	3759,91,70
	(iii) शेयर	27460,41,25	26319,05,18
	(iv) डिबेंचर और बांड	49626,98,14	40790,35,74
	(v) सहयोगी	2283,02,14	1967,24,65
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर तथा प्राथमिक क्षेत्र की जमा राशियाँ इत्यादि)	64138,93,78	45179,10,92
योग		**664579,69,18**	**554548,37,63**
II	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	7937,53,43	5690,15,04
	(ii) सहयोगी	76,18,20	78,88,78
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	23098,34,45	19083,84,76
योग		**31112,06,08**	**24852,88,58**
	कुल योग (I एवं II)	**695691,75,26**	**579401,26,21**
III.	**भारत में निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	665042,15,06	555622,50,80
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	462,45,88	1074,13,17
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार) **योग**	**664579,69,18**	**554548,37,63**
IV.	**भारत के बाहर निवेश**		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य	31448,21,49	25766,10,47
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	336,15,41	913,21,89
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार) **योग**	**31112,06,08**	**24852,88,58**
कुल योग (III एवं IV)		**695691,75,26**	**579401,26,21**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	108753,54,27	91517,31,35
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	715170,45,86	683760,56,46
III. सावधि ऋण	868287,33,28	802998,80,79
योग	**1692211,33,41**	**1578276,68,60**
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1338415,24,90	1280360,65,69
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	54987,35,00	63952,71,71
III. अप्रतिभूत	298808,73,51	233963,31,20
योग	**1692211,33,41**	**1578276,68,60**
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	425714,33,30	406748,82,39
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	121196,09,53	93966,45,02
(iii) बैंक	1263,17,82	2357,09,12
(iv) अन्य	899895,18,92	853186,41,69
योग	**1448068,79,57**	**1356258,78,22**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	49750,01,71	47709,25,29
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) सक्रिय किए गए और बट्टाकृत बिल	28523,86,79	11805,57,98
(ख) सिंडीकेट ऋण	76503,24,02	86829,50,40
(ग) अन्य	89365,41,32	75673,56,71
योग	**244142,53,84**	**222017,90,38**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**1692211,33,41**	**1578276,68,60**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर					
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	4323,51,56		3789,40,33		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	355,12,36		584,40,50		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,47,27		50,29,27		
अद्यतन मूल्यह्रास	572,01,06	4100,15,59	1300,32,24	3023,19,32	
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)					
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	20473,94,21		17796,63,21		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3704,14,33		3603,58,04		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	985,87,89		926,27,04		
अद्यतन मूल्यह्रास	15332,15,26	7860,05,39	13286,87,16	7187,07,05	
III. पट्टाकृत आस्तियाँ					
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	343,55,90		891,71,73		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	11,85,99		1,78,47		
वर्ष के दौरान घटौती	25,44,92		549,94,30		
आज तक का मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	306,49,84		326,61,01		
	23,47,13		16,94,89		
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	47,045	18,76,68	4,70,45	12,24,44	
IV निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		400,31,86		337,27,29	
योग (I, II, III एवं IV)		**12379,29,52**		**10559,78,10**	

अनुसूचियाँ

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2625,04,07	1349,05,72
(II) प्रोद्भूत ब्याज	20948,92,59	18839,02,93
(III) अग्रिम रूप से प्रदत कर / स्रोत पर काटा गया कर	11790,89,06	13857,90,18
(IV) लेखन सामग्री और स्टांप	137,51,42	148,07,48
(V) दावों के निपटान से प्राप्त की गईं गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	24,17,35	25,86,21
(VI) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	949,49,97	939,28,29
(VII) अन्य #	54765,02,85	25937,01,98
योग	**91241,07,31**	**61096,22,79**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 945,21,86 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 948,35,01 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	16967,68,59	15997,87,74
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	464,57,92	520,90,54
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	695217,28,45	669552,27,69
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	151058,82,39	129416,15,78
(ख) भारत के बाहर	67589,77,46	75524,66,13
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	125913,03,37	149365,05,83
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	133127,50,91	132188,74,74
योग	**1190338,69,09**	**1172565,68,45**
संग्रहण के लिए बिल	**105970,51,47**	**90196,99,38**

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	207974,33,97	189062,44,04
अन्य आय	14	49315,16,86	37882,12,60
योग		**257289,50,83**	**226944,56,64**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	133178,64,45	121479,04,34
परिचालन व्यय	16	73848,01,22	63368,73,77
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		32745,48,66	27607,31,21
योग		**239772,14,33**	**212455,09,32**
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		17517,36,50	14489,47,32
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		314,44,18	317,73,35
घटाएं : अल्पांश हित		837,50,76	633,43,17
समूह के लिए निवल लाभ		16994,29,92	14173,77,50
आगे लाया गया शेष		2032,37,15	1422,53,94
योग		**19026,67,07**	**15596,31,44**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		4904,63,53	4097,28,24
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		8301,62,00	6849,72,56
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर)		-	145
चालू वर्ष हेतु लाभांश			
I) अंतरिम लाभांश		-	1119,85,96
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		2648,17,28	1119,85,96
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		556,36,64	377,20,12
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		2615,87,62	2032,37,15
योग		**19026,67,07**	**15596,31,44**
प्रति शेयर मूल आय		₹ 22.76	₹ 20.40
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 22.76	₹ 20.40
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस.वेंकटराम एण्ड कं**
सनदी लेखाकार

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता क्र. : 002161
फर्म पंजी सं. : 004656एस

(वी. जी कन्नन)
एमडी एवं जीई (ए एण्ड एस)

(बी. श्रीराम)
एमडी एवं जीई (एनबी)

(पी. प्रदीप कुमार)
एमडी एवं जीई (सीबी)

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	153144,59,00	141382,60,20
II.	निवेशों पर आय	51002,01,99	44855,68,41
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1159,93,96	1144,71,07
IV.	अन्य	2667,79,02	1679,44,36
योग		**207974,33,97**	**189062,44,04**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	15841,75,18	15086,59,59
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	9671,95,41	4254,27,38
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	1786,05,64	1882,38,03
IV.	पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(51,28,58)	(46,23,72)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2385,78,18	2297,23,02
VI.	भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	17,38,47	2,28,75
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	5,05	2,57,65
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	750,80,67	575,22,01
IX.	बीमा प्रीमियम आय (निवल)	13628,73,49	10672,75,58
X.	विविध आय	5283,93,35	3155,04,31
योग		**49315,16,86**	**37882,12,60**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	121588,38,03	109350,74,15
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5218,58,00	6126,95,06
III. अन्य	6371,68,42	6001,35,13
योग	**133178,64,45**	**121479,04,34**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	31117,61,37	29868,35,94
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	4506,67,55	3940,37,28
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	510,09,33	471,13,20
IV. विज्ञापन और प्रचार	796,87,12	609,53,95
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	5,19,68	4,10,41
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1576,29,70	1938,32,12
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	5,59,20	6,55,27
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	262,91,23	253,76,30
VIII. विधि प्रभार	322,29,26	315,85,95
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	854,98,57	869,16,22
X. मरम्मत और अनुरक्षण	730,45,95	591,75,80
XI. बीमा	2080,02,62	1981,23,84
XII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	551,21,23	381,79,64
XIII. अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय संबंधित	21972,48,10	15839,61,53
XIV. अन्य व्यय	8555,30,31	6297,16,32
योग	**73848,01,22**	**63368,73,77**

अनुसूची 17- महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं । इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेबी (म्यूचूअल फंड) विनयमन, 1996, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यत: मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

1. समूह **(जिसमें 29 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 21 सहयोगी शामिल हैं)** के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा परीक्षित खाते।

   ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंत: समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर-वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमश: अक्षरश: समेकन किया गया है।

   ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

   घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

   क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 इससे अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं ।

1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय ट्रेडिंग के रूप में नामित जिसे नकदी आधार पर लेखे में लिया गया है।।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद) "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल

के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-मानक 19 -पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्घ बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक रखे गए" श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) का अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री/शोधन के समय निर्धारण किया गया है।

ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्घ होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेज फीस का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है; और (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस जिसे पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभावित किया गया है, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

1.9 बांड जारी करने / जमाराशियों के संबंध में भुगतान / वहन की गई दलाली, कमीशन आदि को संबंधित बांडों / जमाराशियों की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और निर्गम के संबंध में उठाए गए खर्च को प्रारंभ में ही प्रभारित कर दिया गया।

1.10 एनपीए की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार हिसाब में ली गई है:

(i) बैंक जब भी अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) को बिक्री करता है, तो उन्हें बहियों से हटा दिया जाता है।

(ii) यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीची) (अर्थात प्रावधान राशि घटाने के बाद बही मूल्य) से कम मूल्य पर की जाती है, तो मूल्य में आई कमी की राशि को बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में बिक्री वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामें कर दिया जाता है।

(iii) यदि यह बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर हो, तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को प्राप्ति वर्ष में रिवर्स कर दिया जाता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किया गया है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ

मर्चेंट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियाँ शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेन देन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन:

क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवा और संविभाग प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

घ. निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

ड. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल फंड विनियमन, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।

च. असीमित अवधि वाली ईक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं और सुण्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) सं संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले मे कलों बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहन शुल्क केवल सदस्यता ग्रहन का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. सभी अन्य आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएक) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिउ उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एफसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा:

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीतियम आय उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन:प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीतियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय; जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल है; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए हैं।

घ. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्घांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ङ. दिए गए लाभ:

- जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने का प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

च. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के आधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

घ. **बीमा पालिसियों के लिए देयता** : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकिक देयता की गणना - बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार - नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय की मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप भी किया जाता हैं।

साधारण बीमा :

क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब में लिया गया हैं। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।

ङ अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर दिखाया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है (अर्थात इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है) (आईबीएनईआर) से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं संबद्घ सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है(अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहाँ कहीं लागू हो को छोड़कर, तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

कारपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कारपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 'सेटलमेंट डेट' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश "क्रय-विक्रय तिथि" को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को 3 श्रेणियों यथा - "परिपक्वता तक रखे गए", "विक्रय के लिए उपलब्ध" और "व्यवसाय के लिए रखे गए" में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन निवेशों को 'परिपक्वता तक रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।

ii. उन निवेशों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. प्रत्येक निवेश को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता तक रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्य-निर्धारण :

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

  क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

  ख. निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है ।

  ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

  घ. एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेण से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम आधार पर किया गया है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। तथापि, एचटीएम श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और परिणामी मूल्यह्रास यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।

iii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य-निर्धारण **रखाव-लागत** आधार पर किया गया है ।

iv. **परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी** : परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अधिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ**: एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियों, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया, (iii) शेयर, (iv) बांड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगिया एवं संयुक्त उद्यम; और (vi) अन्य) के लिए केवल निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।

vi. यदि आस्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एआरसी) को प्रतिभूति रसीदों के निर्गम के आधार पर एनपीए (वित्तीय) आस्तियाँ) की बिक्री की जाती है, तो प्रतिभूति रसीदों के निवेश का निर्धारण वित्तीय आस्ति के निवल में बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) और प्रतिभूति रसीदों के मोचन मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है, और एससी/एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तद्नुसार, जिन मामलों में एससी/एआरसी द्वारा प्रतिभूति रसीदें संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित की गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली राशि तक ही जारी की गई हो, उन मामलों में ऐसे लिखतों के मूल्यांकन हेतु निवल आस्ति मूल्य, एससी/एआरसी से प्राप्त को ध्यान में रखा गया है।

vii. देशीय कार्यालयों/इकाइयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों इकाइयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेशों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय इकाइयों कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।

ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा ।

ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के निवेश माना जाता है, उन पर अनर्जक निवेश के वही मानदंड लगेंगे जो निदेशों पर लागू होते हैं ।

च. विदेशी कार्यालयों के अनर्जक निवेश के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है ।

viii. रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को छोड़कर)

(क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य के ऐसे घट-बढ़ को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधारियाँ) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में जमा और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है । उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है ।

ख. बीमा व्यवसाय

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में निवेश बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

➢ सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।

- सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (‘बीएसई’) पर बाजार बंद होने के समय उद्घृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्घ ईक्विटी प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत आधार पर आकलन किया जाता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का आंकन परंपरागत लागत पर किया गया है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलन पत्र की तारीख को मूल्यांकन किया गया है। वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश उपलब्ध एपएवी के आधार पर किया गया है।

  शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्घ पॉलिसीधारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ‘‘आय और अन्य आरक्षितियाँ (अनुसूची 2)’’ में और ‘‘बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएँ (अनुसूची 5)’’ क्रमश: तुलन पत्र में लिए जाते हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘क्रिसिल’) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिपों के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बांड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

- सूचीबद्घ ईक्विटी शेयरों का तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘एनएसई’) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्घ न किए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया जाता है।

- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ईक्विटी शेयरों की मूल्यन नीति के अनुसार किया जाता है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।

  ईक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है।

- असूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का आंकन परंपरागत लागत आधार पर किया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है । ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता ‘‘असंयत’’ (‘‘आउट ऑफ आर्डर’’) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं; और (ख) कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है ।

ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है ।

iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है ।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

अव-मानक आस्तियाँ :
- i. कुल बकाया राशि पर 15% का सामान्य प्रावधान
- ii. उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)
- iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों में अप्रतिभूत राशि जिसमें कतिपय रक्षोपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं - 20%

संदिग्ध आस्तियाँ :

- प्रतिभूत भाग :
  - i. एक वर्ष तक - 25%
  - ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
  - iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग : 100%

हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के ऋण और अग्रिम खातों का वर्गीकरण तथा अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक कठोर था, के अनुसार किए गए हैं।

3.5 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।

3.6 पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संरचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रिमों में से घटाया गया है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है ।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली गई राशि को आय के रूप में दिखाया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति लागू है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की राशि का प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।

5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र के/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई

विनिमय संविदाओं की रूपरेखा इस ढंग से तैयार की जाती है कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसे प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।

6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए ''उचंत परिणत प्राप्य राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है। यदि डेरीवेटिव संविदाओं में भविष्य में और अधिक निपटारे का प्रावधान है और यदि डेरीवेटिव संविदा अतिदेय प्राप्य राशि का 90 दिन तक भुगतान प्राप्त न होने पर समाप्त नहीं की जाती है तो भविष्य में प्राप्त राशियों की बाजार मूल्य पर बहियों में अंकित घनात्मक राशि को लाभ और हानि खाते से ''उचंत बाजार मूल्य घनात्मक राशि खाते'' में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फॉरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के बाजार मूल्य निकालने हेतु शामिल किया गया है।

6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरीवेटिव्ज तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियां मूल्यह्रास और परिशोधन

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और व्यावसायिक शुल्क तथा आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 एसबीआई के मामले में इस देशीय परिचालन के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर्शाने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		खरीदी वर्ष में 100% मूल्यह्रास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर
		अधिकांश अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि निम्नानुसार है:	
		परिसर - 60 वर्ष	
		वाहन - 5 वर्ष	
		सुरक्षित जमा लाकर - 20 वर्ष	
		फर्नीचर एवं फिक्सचर - 10 वर्ष	

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों के लिए प्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्ति को काम में लिए गए दिनों के लिए यथानुपातिक आधार पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1,000 से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्घ पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेशी कार्यालयों/इकाइयों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो लेखे में दर्शाई जानेवाली अपसामान्यता का माप उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है ।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है ।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है ।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है ।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वताओं के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में दिखाया गया है।

viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को एक्सचेंज क्लिअरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय का फेडई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।

iii. निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों/अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है ।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता हैं। इस अंशसन का इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जात है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रबंध किया जाता है।

ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।

ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है । यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो ₹10 लाख की अधिकतम राशि के अध्यधीन होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।

ङ नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएं

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस योजना के अनुसार संबंधित कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में अंशदान करता है और साथ में उतनी ही राशि बैंक द्वारा अंशदान की जाती है। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन अशदानों की राशि को बैंक में जमाराशियों के रूप में रखा जाता है और भविष्य निधि शेष के चालू खाते में लागू होने वाली दर से इस राशि पर ब्याज अर्जित होता है। बैंक इन अंशदानों और इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर, समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है । इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/ विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं तें हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर कि क्या उनकी वसूली हाने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ'' के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का समावेश करता है, यह संभव है कि दायित्व की चुकौती में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त विरली परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉईंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. बुलियन लेनदेन

बैंक अपने ग्राहकों को ब्रिकी करने के लिए बुलियन आयात परेषण आधार पर करता है जिसमें बहुमूल्य धातु बार की शामिल है ।आयात पूर्णतया बैक टू बैक आधार पर किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत इस मूल्य के आधार पर ग्राहकों के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। बैंक इस थाक बुलियन लेनदेन पर फीस अर्जित करता है। इस फीस को कमीशन आय की श्रेणी में रखा गया है। बैंक सोना जमा की रखता है और उधार भी देता है। इन्हें यथास्थिति जमाराशियाँ अग्रिम माना जाता है और दिए गए/प्राप्त ब्याज की दिए गए ब्याज/आय की श्रेणी में रखा जाता है।

16. विशेष रिज़र्व:

आय और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1965 की धारा36 (i) (viii) अंतर्गत सृजित विशेष सम्मिलित है। निदेशक बेर्ड ने एक संकल्प पारित करके रिज़र्व सृजन हेतु अनुमोदन किया है। उन्होंने इस बात की पृष्टि की है कि विशेष रिज़र्व हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने के व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियाँ :

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समय निम्नांकित 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 21 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष के दौरान उनके विलय/बहिर्गमन की संबंधित तारीख सेतक सम्मिलित है। :

क) अनुषंगियां

			समूह का हिस्सा (%)	
क्र सं.	**अनुषंगी का नाम**	**निगमन-देश**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	90.00	90.00
4)	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	78.91	75.01
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.58	71.54
11)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
12)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
13)	एसबीआई पेंशन फण्ड्स प्रा. लिमिटेड	भारत	92.60	92.60
14)	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00	65.00
15)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.@	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00	100.00
18)	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
19)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.36
20)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
21)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.	बोत्सावाना	100.00	100.00
22)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
23)	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	60.00	60.00
24)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
25)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@	भारत	74.00	74.00
26)	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को @	रूस	60.00	60.00
27)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.10	55.28
28)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	मॉरीशस	63.00	63.00
29)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00

@ ऐसी कंपनियाँ जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00

ग) सहयोगी

समूह का हिस्सा (%)

क्र सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीणा बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीणा बैंक	भारत	31.50	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22	29.22
20)	बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00
21)	एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)	भारत	25.05	25.05

क. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जो भारतीय स्टेट बैंक की एक देशीय बैंकिंग अनुषंगी है, ने अप्रैल 2014 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को प्रति शेयर ₹ 416.06 के मूल्य पर ₹ 385.00 करोड़ की राशि के 92,53,473 शेयरों का अधिमानी आबंटन किया, जिसके बाद एसबीआई का हित बढ़कर 75.01% से 78.91% हो गया। परिणामस्वरूप, अप्रत्यक्ष पद्धति से एसबीआई डीएफएचआई लि. में समूह का हित भी बढ़कर 71.54% से 71.58% हो गया।

ख. इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने मार्च 17, 2015 से मार्च 31, 2015 की अवधि के दौरान अपने विद्यमान शेयरधारकों को राइट इश्यू के रूप में ₹ 10/- प्रति शेयर और ₹ 390/- प्रति शेयर प्रीमियम के हिसाब से 1,18,50,694 ईक्विटी शेयर प्रस्तावित किए। इस संपूर्ण शेयर आवेदन राशि को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने 31 मार्च 2015 को अपने तुलन-पत्र में शेयर आवेदन राशि बकाया आबंटन के रूप में प्रकट किया है। अप्रैल 13, 2015 को, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने इस आवेदन राशि के आधार पर 94,81,518 ईक्विटी शेयर एसबीआई को और 23,69,176 ईक्विटी शेयर अन्य को आबंटित किए हैं। परिणामस्वरूप, एसबीआई का हित बढ़कर 78.91% से 79.09% हो गया।

ग. भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जो इसकी सम्पूर्ण स्वामित्व वाली देशीय बैंकिंग अनुषंगी है, में ₹ 752/- करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

घ. भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई 2014 में ₹ 1.97 करोड़ का निवेश करके अपनी विदेशी अनुषंगी, एसबीआई (मारीशस) लि. में 0.24% का एक अतिरिक्त हित प्राप्त किया है, जिसके बाद एसबीआई का हित बढ़कर 96.60% हो गया।

ङ. नेपाल एसबीआई बैंक लि. (एसबीआई की एक विदेशी अनुषंगी) ने दिसंबर 2014 में पब्लिक कोटा के माध्यम से अल्पांश शेयरधारकों को अपने अभिदत्त नहीं किए गए भाग में से 89,763,96 अतिरिक्त शेयर जारी किए हैं, जिसके कारण एसबीआई का हित घटकर 55.28% से 55.10% हो गया।

च. भारतीय स्टेट बैंक ने दिसंबर 2014 में पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेसिया (एसबीआई की एक विदेशी अनुषंगी) को पूंजी के बाद के संवर्धन हेतु शेयर आवेदन राशि के लिए ₹ 161.91 करोड़ प्रेषित किए हैं। 31 मार्च 2015 को शेयरों का आबंटन बकाया रहा।

छ. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि., जो भारतीय स्टेट बैंक की एक देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगी है, ने जुलाई 2014 में अपने हितधारकों, अर्थात एसबीआई और आईएजी आस्ट्रेलिया को ₹ 10/- प्रति शेयर के 2.80 करोड़ ईक्विटी शेयरों का आबंटन करके उनसे ₹ 150/- प्रति शेयर के हिसाब से ₹ 420 करोड़ की निधियां जुटाई है। ऐसे आबंटन से, एसबीआई ने अपने विद्यमान हित, जो 74% है, के यथानुपात में ₹ 310.80 करोड़ की राशि लगाई है।

ज. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि. में ₹ 25 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

झ. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि. में ₹ 38.23 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

त्र. ''डेक्कन ग्रामीण बैंक'' जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, का नाम दिनांक 20 अक्तूबर 2014 से भारत के गजट में अधिसूचित किए अनुसार बदलकर ''तेलंगाना ग्रामीण बैंक'' कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और अन्य बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के बीच निम्नलिखित समामेलन संपन्न हुआ:

हस्तांतरक आरआरबी का नाम	हस्तांतरक आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरी आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
मरूधरा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अप्रैल 1, 2014
मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	आईसीआईसीआई बैंक			

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2014-15 के समेकित वित्तीय विवरणों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाड़ा), जो एक अनुषंगी है और बैंक ऑफ भूटान, जो एक सहयोगी है, के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. शेयर पूंजी :

2.1 वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत सरकार को 31 मार्च 2015 को आबंटित प्रति ₹ 1 के 10,04,77,012 ईक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के संबंध में भारत सरकार से ₹ 2970.00 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें ₹ 2,959.95 करोड़ की प्रीमियम राशि शामिल है। ईक्विटी शेयर अप्रैल 1, 2015 को आबंटित किए गए।

2.2 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने दिनांक 24 सितंबर 2014 को आयोजित हुई अपनी बैठक में एसबीआई के ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को प्रति शेयर ₹ 10 से घटाकर ₹ 1 करने तथा उसके यथानुपात में निर्गमित शेयरों की संख्या बढ़ाने पर विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया था। शेयर का विभाजन नवंबर 21, 2014 को किया गया।

2.3 भारतीय स्टेट बैंक ने राइट इश्यू - 2008 के एक भाग के रूप में जारी प्रति शेयर ₹ 1/- के 8,30,750 ईक्विटी शेयरों (पिछले वर्ष प्रति शेयर ₹ 10/- के 83,075 ईक्विटी शेयर) का आबंटन रोक कर रखा है।

2.4 शेयरों के निर्गम से संबंधित व्यय : शेयर प्रीमियम खाते में शून्य राशि (पिछले वर्ष ₹ 25.62 करोड़ की राशि) नामे की गई।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 वर्ष के दौरान, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की पद्धति को आयकर दरों के साथ, जो अब तक लागू की जा रही है, डब्ल्यूडीवी पद्धति से बदल कर तकनीकी मूल्यांकन पर निर्धारित उपयोगी अवधि के आधार पर कर दिया गया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, पहले की अवधि की मूल्यह्रास राशि ₹ 741.77 करोड़ से अधिक पाई गई और इस वर्ष के लिए लगाए गए मूल्यह्रास की राशि ₹ 125.66 करोड़ से अधिक रही। परिणामस्वरूप, अचल आस्तियां और कर-पूर्व लाभ की राशि ₹ 616.11 करोड़ से उच्च रही।

3.2 कर्मचारी - हितलाभ

3.2.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

3.2.1.1 कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**56,863.05**	**50,109.94**	**9,176.98**	**9,287.23**
वर्तमान सेवा लागत	1,561.91	1,377.26	219.45	269.73
ब्याज लागत	5,070.61	4,300.42	833.14	780.71
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	निरंक	निरंक	(0.02)	0.06
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	5,083.47	4,498.58	529.94	(117.85)
प्रदत्त हितलाभ	(2,146.26)	(718.94)	(1,216.39)	(1,042.90)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(1,903.22)	(2,704.21)	निरंक	निरंक
31 मार्च 2015 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	**64,529.56**	**56,863.05**	**9,543.10**	**9,176.98**
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**53,143.82**	**44,715.33**	**9,206.33**	**8,595.25**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,719.23	3,903.23	794.11	703.92
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	3,731.53	5,079.95	471.60	942.51
प्रदत्त हितलाभ	(2,146.26)	(718.94)	(1,216.39)	(1,042.90)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	2,437.82	164.25	107.29	7.55
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**61,886.14**	**53,143.82**	**9,362.94**	**9,206.33**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	64,529.56	56,863.05	9,543.10	9,176.98
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	61,886.14	53,143.82	9,362.94	9,206.33
कमी/(अधिशेष)	2,643.42	3,719.23	180.16	(29.35)
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	निरंक	187.10	निरंक	51.59
निवल देयता/(आस्ति)	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	64,529.56	56,863.05	9,543.10	9,176.98
आस्तियाँ	61,886.14	53,143.82	9,362.94	9,206.33
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	2,643.42	3,719.23	180.16	(29.35)
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	निरंक	187.10	निरंक	51.59
निवल देयता/(आस्ति)	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,561.91	1,377.26	219.45	269.73
ब्याज लागत	5,070.61	4,300.42	833.14	780.71
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,719.23)	(3,903.23)	(794.11)	(703.92)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	187.10	187.09	51.57	251.59
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
पूर्ववर्ती वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान की प्रतिवर्तित राशि	2,645.65	4,334.33	422.65	(125.40)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	**4,746.04**	**6,295.87**	**732.70**	**472.71**
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,719.23	3,903.23	794.11	703.92
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,437.82	164.25	107.29	7.55
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**7,157.05**	**4,067.48**	**901.40**	**711.47**
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	**3,532.13**	**5,020.42**	**(80.94)**	**388.80**
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	4,746.04	6,295.87	732.70	472.71
विलय और अधिग्रहण पर निवल देयता	(1,903.22)	(2,704.21)	निरंक	निरंक
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(3,731.53)	(5,079.95)	(471.60)	(942.51)
नियोक्ताओं का अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक	0.06
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**2,643.42**	**3,532.13**	**180.16**	**(80.94)**

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.29%	23.90%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.12%	16.42%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	42.19%	32.93%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	0.23%	23.68%
अन्य	4.17%	3.07%
योग	**100.00 %**	**100.00 %**

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21% से 8.21%	8.75% से 9.27%	8.21% से 8.21%	8.75% से 9.31%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.21% से 9.00%	8.75% से 9.27%	8.00% से 9.00%	8.75% से 9.31%
वेतन वृद्धि	5.00% से 5.00%	5.00% से 5.00%	5.00% से 5.00%	5.00% से 5.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

वर्ष के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार योजना आस्तियों के मूल्यांकन से संबंधित अपनी नीति को बही मूल्य से उचित मूल्य के अनुसार बना लिया है। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, योजना आस्तियों की राशि में पेंशन निधि के संबंध में ₹ 2069.00 करोड़ की और ग्रेच्युटी के संबंध में ₹ 113.87 करोड़ की वृद्धि हुई है।

3.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकित मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार "शून्य" देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2014-15 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीकांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैं:-

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	21,804.39	20,742.83
वर्तमान सेवा लागत	527.14	529.53
ब्याज लागत	1869.09	1,838.65
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	661.66	656.87
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
31 मार्च 2015 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	22,498.51	21,804.39
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2014 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	22,366.42	21,223.41
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,869.09	1,838.65
अंशदान	1,188.80	1,186.40
प्रदत्त हितलाभ	(2,363.77)	(1,963.49)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ /(हानियाँ)	137.28	81.45
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	23,197.82	22,366.42
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2015 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	22,498.51	21,804.39
31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23,197.82	22,366.42
कमी/(अधिशेष)	(699.31)	(562.03)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्ति	699.31	562.03
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्ति		
वर्तमान सेवा लागत	527.14	529.53
ब्याज लागत	1869.09	1,838.65
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1,869.09)	(1,838.65)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत को अनुसूची 16 “कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान” में शामिल किया गया है.	527.14	529.53
तुलन पत्र में ली गई प्रारंम्भिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्त अनुसार व्यय	527.14	529.53
नियोक्ता का अंशदान	(527.14)	(529.53)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.62
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.88
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	0.14
सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्र बांड	36.05
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	-
अन्य	4.31
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.21%	9.35%
निश्चित प्रतिलाभ	8.75%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%

3.2.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.29 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.2.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹ 200.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 160.16 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.2.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹ 813.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-)19.56 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण ;

₹ करोड़ में

क्रम सं	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अर्जित अवकाश (नकदीकरण)-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण भी इसमें शामिल है	801.28	448.98
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	(21.66)	7.00
3	रुग्ण अवकाश	6.46	(385.64)
4	रजत जंयती अवार्ड / दीर्घावधि सेवा अवार्ड	11.15	(11.14)
5	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	13.23	1.07
6	आकस्मिक अवकाश	Nil	(82.55)
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	3.37	2.72
योग		**813.83**	**(19.56)**

3.2.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.3 खंड सूचना

3.3.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) कोष: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलत: व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग: कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल है।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) देशीय परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आस्ति-सृजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें "अनाबंटित व्यय" के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.3.2 खंडवार सूचना

भाग क्र: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खण्ड	कोष	कारपोरेट/ थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	परित्याग	योग
आय	51,867.83 (42,418.29)	85,230.94 (73,300.30)	90,340.03 (89,329.62)	24,476.88 (18,066.15)	4,144.11 (3,388.22)		2,56,059.79 (2,26,502.58)
अनाबंटित आय							1,229.72 (441.98)
कुल आय							2,57,289.51 (2,26,944.56)
परिणाम	7,331.87 (2,139.86)	1,945.87 (3,653.51)	17,914.50 (18,007.47)	843.39 (718.43)	1,361.91 (948.79)		29,397.54 (25,468.06)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (–) निवल							-3,542.97 (-4,142.52)
परिचालन लाभ (पीबीटी)							25,854.57 (21,325.54)
कर							8,337.20 (6,836.07)
असाधारण लाभ/हानि						-	(-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व							17,517.37 (14,489.47)
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी							314.44 (317.73)
घटाएँ : अल्पांश हित							837.51 (633.43)
निवल लाभ समूह के लिए							16,994.30 (14,173.77)
अन्य सूचना :							
खंड आस्तियाँ	6,44,061.54 (5,45,105.61)	10,35,488.78 (9,44,851.52)	9,07,679.97 (8,12,863.85)	76,948.47 (62,451.99)	13,468.53 (10,975.68)		26,77,647.29 (23,76,248.65)
खंड आस्तियाँ							22,462.73 (20,246.65)
अनाबंटित आस्तियाँ							27,00,110.02 (23,96,495.38)
खंड देयताएँ	3,66,954.63 (264,556.11)	9,58,490.64 (8,16,172.78)	10,59,909.52 (10,33,771.53)	72,072.91 (58,592.60)	9,110.23 (7,239.78)		24,66,537.93 (21,80,332.80)
अनाबंटित देयताएँ							72,184.55 (68,791.97)
कुल देयताएँ							25,38,722.48 (22,49,124.77)

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

₹ करोड़ में

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,46,689.00 (2,16,975.27)	10,600.51 (9,969.29)	2,57,289.51 (2,26,944.56)
परिणाम	24,854.59 (22,136.04)	4,542.95 (3,332.02)	29,397.54 (25,468.06)
आस्तियाँ	23,78,661.71 (21,09,119.12)	3,21,448.31 (2,87,376.18)	27,00,110.02 (23,96,495.30)
देयताएँ	22,20,650.02 (19,65,113.49)	3,18,072.46 (2,84,011.28)	25,38,722.48 (22,49,124.77)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2015 का है।

(ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.4 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

3.4.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. कावेरी ग्रामीण बैंक
6. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
8. मालवा ग्रामीण बैंक
8. कृष्णा ग्रामीणा बैंक
9. मेघालय रूरल बैंक
10. मिजोरम रूरल बैंक
11. नागालैंड रूरल बैंक
12. पूर्वांचल बैंक
13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
14. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
16. उत्कल ग्रामीण बैंक
17. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
18. वनांचल ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

19. दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
20. बैंक आफ भूटान लि.
21. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमपानाधीन)

C) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
2. श्री हेमंत जी कान्ट्रेक्टर

   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (30.04.2014 तक)
3. श्री ए. कृष्ण कुमार

- प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (16.04.2014 तक)
- प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (17.04.2014 से 30.11.2014)
- प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग) (30.04.2014), (प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) का अतिरिक्त प्रभार) (01.05.2014 से 16.07.2014)

4. श्री एस. विश्वनाथन,

   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (30.04.2014 तक)
5. श्री पी. प्रदीप कुमार

- प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग),
- (प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) का अतिरिक्त प्रभार) (01.05.2014 से 16.07.2014)

6. श्री वी. जी. कन्नन,
   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (17.07.2014 से)
7. श्री बी. श्रीराम
   प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग) (17.07.2014 से)

3.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.4.3 लेनदेन और शेष राशियाँ:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2014-15 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज	-	-	-
	(0.02)	(-)	(0.02)
प्रदत्त ब्याज	2.78	-	2.78
	(4.00)	(-)	(4.00)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	33.82	-	33.82
	(12.24)	(-)	(12.24)
अन्य आय	-	-	-
	(3.50)	(-)	(3.50)
अन्य व्यय	9.01	-	9.01
	(9.01)	(-)	(9.01)
प्रबंधन संविदा	308.94	1.03	309.97
	(267.08)	(1.08)	(268.16)
31 मार्च 2015 को बकाया			
देय राशियाँ			
जमा	36.06	-	36.06
	(95.40)	(-)	(95.40)
अन्य देयताएं	29.45	-	29.45
	(16.32)	(-)	(16.32)
प्राप्य राशियाँ			
बैंको में शेष	2.12	-	2.12
	(-)	(-)	(-)
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
अग्रिम	0.24	-	0.24
	(-)	(-)	(-)
अन्य आस्तियां	0.34	-	0.34
	(0.30)	(-)	(0.30)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशियाँ			
उधार राशियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा	57.32	-	57.32
	(100.87)	(-)	(100.87)
अन्य देयताएँ	87.46	-	87.46
	(64.80)	(-)	(64.80)
बैंकों में शेष	5.94	-	5.94
	(-)	(-)	(-)
अग्रिम	0.52	-	0.52
	(2.02)	(-)	(2.02)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
निवेश	41.55	-	41.55
	(41.55)	(-)	(41.55)
अन्य आस्तियाँ	0.34	-	0.34
	(0.30)	(-)	(0.30)
गैर-निधि वचनबद्धताएं	-	-	-
	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.5 पट्टे:

3.5.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	5.12	5.68
1 से 5 वर्ष तक	5.43	9.11
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**10.55**	**14.79**
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.89	1.49
1 से 5 वर्ष तक	0.51	1.09
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**1.40**	**2.58**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	4.23	4.19
1 से 5 वर्ष तक	4.92	8.02
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**9.15**	**12.21**

3.5.2 परिचालन पट्टा*

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	262.05	209.55
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	836.60	608.53
5 वर्ष से अधिक	222.21	157.73
कुल	**1,320.86**	**975.81**
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	1,744.10	235.15

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में.

3.6 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	7,46,57,30,920	6,84,03,39,710
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	-	62,53,91,210
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	7,46,57,30,920	7,46,57,30,920
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	7,46,57,30,920	6,94,78,39,100
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	7,46,60,06,199	6,94,78,39,100
निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	16,994.30	14,173.77
मूल आय प्रति शेयर (₹)	22.76	20.40
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	22.76	20.40
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1.00	1.00

* प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के समय अप्रैल 1, 2015 को आबंटित ईक्विटी शेयरों के लिए प्राप्त राशि को ध्यान में रखा गया हैं।

बैंको के शेयरों के अंकित मूल्य को 22 नवंबर 2014 से ₹10/- प्रति शेयर से विभाजित करके ₹ 1/- प्रति शेयर कर दिया गया है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए विभाजन प्रभाव सभी शेयरों एवं प्रति शेयर से संबंधित सूचना पर प्रकट करता हैं।

3.7 आय पर करों का लेखाकरण

i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹1049.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1173.66 करोड़ नामे किए गए थे) लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे।

ii) प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	954.34	364.66
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान #	2,235.65	1,632.72
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,745.05	837.07
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	(0.23)	14.37
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	195.67	205.78
अन्य	690.95	845.85
योग	5,821.43	3,900.45
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	210.79	28.02
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3,660.78	3,441.43
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,196.64	2,541.06 $
अन्य	470.94	863.33
योग	7,539.15	6,873.84
निवल आस्थगित कर आस्तियां (देयताएं)	(1,717.72)	(2,973.39)

$ इसमें भा.रि.बैंक के परिपत्र के अनुसार राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि से अंतरित ₹2,052.76 करोड़ शामिल है।

3.8 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

➢ **क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान के लिए प्रावधान		
	-वर्तमान कर	9375.30	5,650.56
	-आस्थगित कर	(1,049.64)	1,173.66
	-अनुषंगी लाभ कर	11.54	11.85
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	20,010.91	17,465.50
ग)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	1,563.63	871.80
घ)	मानक आस्तियों पर प्रावधान	2,918.48	1,568.87
ङ)	विनिधानों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(663.07)	876.27
च)	अन्य प्रावधान	578.34	(11.20)
योग		32,745.49	27,607.31

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

➢ **आस्थिर प्रावधान:**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	अथशेष	362.37	479.22
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	140.32	116.85
घ)	**अंतिम शेष**	222.05	362.37

➢ ग) **आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण :**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा। यह समूह बकाया अपीलों के संबंध में विभिन्न कर मामलों के लिए पक्षकार हैं।
2	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड से संबंधित देयता	इस मद में आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों की देयता के संबंध में प्रदत्त नहीं की गई राशि प्रस्तुत की गई है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धताओं की राशि शामिल है।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से, प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर् से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	**समूह अपने निजी खाते से और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से करेंसी ऑप्शन, वायदा दर करार, करेंसी स्वैप्स और ब्याज दर स्वैप्स करता है। करेंसी स्वैप्स की प्रतिबद्धताएं पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के सामने दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियां जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है, ऐसी विशिष्ट राशियां होती हैं जिनका संविदाओं के ब्याज घटक के आकलन हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें पूंजी खाते के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि में भी शामिल किया जाता है और इन्हें सहयोगी एवं अनुषंगी की ओर से एसबीआई द्वारा जारी व्यवस्था पत्र, जमाकर्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत एसबीआई की देयता और जागरूकता निधि के अंतर्गत एसबीआई की देयताओं और अन्य विविध आकस्मिक देयताओं के प्रावधान की गई राशि में शामिल नहीं किया जाता है।**

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

➢ **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :**

₹ करोड़ में

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	**पिछला वर्ष**	790.46	557.97
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	378.00	260.68
ग)	वर्ष के दौरान आहरण में कमी	90.55	28.19
घ)	**अंतिम शेष**	**1,077.91**	**790.46**

4. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीए ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत सदस्यों या लाभार्थियों को क्रमश: आदेश क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसी धारकों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक प्रभार राशि ₹84.32 करोड़ का संवितरण करने और आदेश क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के अनुसार कारपोरेट एजेंटों को प्रदत्त किए गए कमीशन की आधिक्य राशि को वापस करने के लिए निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेशों/आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश बकाया है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

5. लाइफ और जनरल बीमा अनुषंगियों के विनिधानों को बैंकों द्वारा अनुपालन की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार इनको फिर से शामिल न करके आईआरडीए (विनिवेश विनियमन) 2000 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। बीमा अनुषंगियों के विनिधान 31 मार्च 2015 को कुल विनिधान का लगभग 9.97% (पिछले वर्ष 9.33%) रहे।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हों) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

7. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

8. बकाया वेतन करार

यूनियनों के साथ सदस्यों बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा किया गया नौंवा द्विपक्षीय समझौता दिनांक 31 अक्तूबर 2012 को समाप्त हो गया। आईबीए द्वारा यूनियनों के साथ की गई सहमति के अनुसार, वेतन संशोधन के लिए बकाया करार का निष्पादन, जो 1 नवंबर 2012 से प्रभावी होना है, करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने वेतन पर्ची घटक के संबंध में वेतन एवं भत्तों में 15% की वृद्धि पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान ₹3,019.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,353.27 करोड़) का प्रावधान किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने (स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को छोड़कर) अधिवर्षिता और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में ₹694.59 करोड़ और (पिछले वर्ष ₹652.30 करोड़) का प्रावधान किया है।

वेतन संशोधन के संबंध में (अधिवर्षिता और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ सहित), समूह द्वारा किए गए प्रावधानों की राशि ₹8,757.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5044.03 करोड़) रही।

9. असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

भारतीय स्टेट बैंक और उसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने भा. रि. बैंक के परिपत्र क्र.डीबीओडी.क्र.बीपी.85/21.06.200/ 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम वाली इकाइयों के लिए 'पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकताएं" के संबंध में ₹354.12 करोड़ का प्रावधान किया है।

10. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

भा. रि. बैंक के परिपत्र क्र.डीबीओडी.क्र बीपी.98/21.04.132/ 2013-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 के अनुसार, पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई आस्तियों की बिक्री से कम पड़ने वाली राशि ₹3,897.04 करोड़ को दो वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹887.13 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है। 31 मार्च 2015 को अपरिशोधित राशि ₹3,009.91 करोड़ रही है।

11. प्रतिचक्रीय सुरक्षित भंडार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अस्थायी प्रावधान/प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षित भंडार के संबंध में जारी अपने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.क्र.बीपी.95/21.04.48/2013-14 दिनांक 7 फरवरी 2014 के अनुसार, बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु मार्च 31, 2013 तक उनके द्वारा आरक्षित प्रति चक्रीय सुरक्षित भंडार (सीसीपीबी) राशि का 33 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु सीसीपीबी की ₹382 करोड़ (वित्त वर्ष 2013-14 में ₹750 करोड़ उपयोग में लाई गई) की राशि का उपयोग किया है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अस्थायी प्रावधान/प्रति चक्रीय प्रावधान सुरक्षित भंडार के संबंध में जारी अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.79/21.04.48/2013-14 दिनांक 30 मार्च 2015 के अनुसार,

बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु दिसंबर 31, 2014 तक उनके द्वारा आरक्षित प्रति चक्रीय सुरक्षित भंडार (सीसीपीबी) राशि का 50 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु सीसीपीबी की ₹79.19 करोड़ की राशि का उपयोग किया है।

12. जहाँ भी आवश्यक था, विगत वर्षों के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं-पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(अरुंधति भट्टाचार्य)
(अध्यक्ष)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस. वेंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार

(वी. जी. कन्नन)	**(बी. श्रीराम)**	**(पी. प्रदीप कुमार)**	**(जी. नारायणस्वामी)**
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक	प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक	प्रबंध निदेशक एवं समूह	भागीदार
(सहयोगी एवं अनुषंगी)	(राष्ट्रीय बैंकिंग)	कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)	सदस्यता सं. : 002161
			फर्म पंजीकरण सं. : 004656एस

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर-पूर्व निवल लाभ	25331,49,77	21009,84,23
समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	1581,49,38	1942,42,53
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)	51,28,58	46,23,72
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)	-	55,13,96
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि (निवल)	(1786,05,64)	(1882,38,03)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	21574,53,58	18337,29,64
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2918,47,70	1568,87,36
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(663,06,38)	876,27,38
अन्य प्रावधान	578,33,91	(11,19,91)
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा (विनिधान कार्यकलाप)	(314,44,18)	(317,73,35)
सहयोगियों के लाभांश	(17,38,47)	(2,28,75)
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)	4894,70,92	4776,41,04
उप योग	**54149,39,17**	**46398,89,82**
समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	214108,43,23	211449,74,46
पूंजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	19761,57,51	17745,47,76
सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी	(113528,30,12)	(58648,67,47)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(135509,18,39)	(204005,94,91)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	45919,41,32	6851,94,41
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(30981,06,60)	11951,54,81
उप योग	**53920,26,12**	**31742,98,88**

विवरण		31.03.2015 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2014 को समाप्त वर्ष ₹
प्रदत्त कर		(7517,36,65)	(12601,31,18)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	**(क)**	**46402,89,47**	**19141,67,70**
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी		1,37,27	(140,46,31)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		17,38,47	2,28,75
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(3452,29,40)	(3178,51,79)
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी		3,13,15	(219,79,75)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	**(ख)**	**(3430,40,51)**	**(3536,49,10)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
ईक्विटी शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि		-	10006,02,70
बकाया आबंटन शेयर आवेदन राशि प्राप्त		2970,00,00	-
पूंजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी		1142,18,25	2291,03,50
पूंजी लिखतों पर संदत्त ब्याज		(4894,70,92)	(4776,41,04)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित		(1236,33,43)	(4508,37,72)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश कर		(122,38,00)	(84,50,02)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी		587,96,68	655,28,97
वित्तीय कार्यकलाप से सृजित निवल नकदी	**(ग)**	**(1553,27,42)**	**3583,06,39**
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव	**(घ)**	**6,00,95**	**2745,36,88**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**41425,22,49**	**21933,61,87**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		167161,34,47	145227,72,60
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		208586,56,96	167161,34,47

(अरुंधति भट्टाचार्य)
(अध्यक्ष)

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस. वेंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार

(वी. जी. कन्नन)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)

(बी. श्रीराम)
प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(राष्ट्रीय बैंकिंग)

(पी. प्रदीप कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं समूह
कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग)

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. : 002161
फर्म पंजीकरण सं. : 004656एस

कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषिती
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक
कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मुंबई

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं : (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹20,48,079.80 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,74,972.97 करोड़ का कुल राजस्व, ₹13,101.57 करोड़ की लाभ और ₹42,311.67 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं; (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 28 (अट्ठाईस) अनुषंगियों, 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों और 20 (बीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹6,66,304.71 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹84,232.41 करोड़ का कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹578.75 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश और सहयोगियों से ₹317.15 करोड़ के निवल लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं; 1 (एक) अनुषंगी और 1 (एक) सहयोगी के अलेखा-परीक्षित खाते 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹3432.20 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹138.76 करोड़ का कुल राजस्व, ₹792.40 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और सहयोगियों से ₹2.71 करोड़ की हानि में समूह का अंश प्रकट करते हैं। समूह की इकाइयों के वित्तीय विवरण जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां में सूचीबद्ध किए गए हैं, जो इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

3. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है। ये वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए हैं और जहाँ तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल की गई राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।

4. 1 (एक) अनुषंगी और 1 (एक) सहयोगी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21-''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक-23 ''समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा'' और लेखा मानक-27-''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट'' और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यत: अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुपालन शामिल है जो सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषयवस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

7. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। उन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं उनके उचित प्रस्तुति के संबंधित आंतरिक

नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति को डिजाइन किया जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-नीतियों तथा लेखा आकलनों के औचित्य तथा समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

8. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता हैं।

9. भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्टें/प्रबंधन प्रमाणपत्र हमें प्रेषित किए गए हैं और हमने अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से तैयार की है तथा हमारा राय केवल अन्य लेखा-परीक्षकों/प्रबंधन प्रमाणपत्रों पर आधारित है।

अभिमत

10. यहाँ ऊपर उल्लिखित पैरा 1-9 में यथा उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन, हमारी लेखा-परीक्षा और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों के अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण- भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धातों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:

(क) 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;

(ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और

(ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

ध्यानाकर्षण

11. अपने अभिमत को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान 'अनुसूची 18 : लेखा टिप्पणियां" की ओर आकर्षित करते हैं:

i) टिप्पणी क्र. 3.1 : अचल आस्तियों की मूल्यह्रास दर/पद्धति में परिवर्तन, जिसके कारण लाभ में ₹616.11 करोड़ की वृद्धि हुई।

ii) दीर्घावधि लाभ वाली योजना आस्तियों का मूल्यांकन बही मूल्य से बदल कर उचित मूल्य में कर दिया गया जिससे योजना आस्तियों की राशि में ₹2,182.87 करोड़ की वृद्धि हुई।

iii) टिप्पणी क्र. 10 : पुनर्संरचित कंपनियों को आस्तियों की बिक्री करने से हुई हानि के कारण खाते में ₹3009.91 का परिशोधन।

iv) टिप्पणी क्र. 11 : वर्ष के दौरान ₹461.19 करोड़ की राशि के प्रति चक्रीय सुरक्षित राशि का उपयोग करना।

उपर्युक्त उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारा अभिमत किन्हीं शर्तों पर आधारित नहीं है।

कृते **एस. वेंकटराम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004656S

(जी. नारायणस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 002161

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22 मई 2015

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2015 को

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2015 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाःनियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाःनियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाःनियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
33	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	मैकेवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	मैकेवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बरमुडा	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	लांग्पी देहांगी रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
45	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	पूर्वांचल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
48	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
56	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
			निरंक				

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के नियंत्रक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)$	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,012.68	102,301.54
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	9,596.56	154,502.78
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	4,932.37	79,468.93
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	7,244.26	116,709.10
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	5,252.35	105,595.43
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	1,018.77	1,137.37
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	130.98	180.52

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	3.49	3.56
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कारपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	39.32	41.30
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कारपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएँ	20.44	20.70
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ	59.66	60.37
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	981.60	4,108.58
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	व्यापारी अभिग्रहण व्यवसाय से संबंधित सेवाएँ	1.82	1.92
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	321.95	786.98
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	एन पी एस ट्रस्ट की उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	33.59	34.26
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएँ और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	79.02	82.07
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	20.45	20.46
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	537.77	675.12
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.46	1.66
20	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	965.63	6,148.09
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	772.43	4,576.93
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	630.29	3,432.20
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	118.59	571.53
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,145.08	6,365.81
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	260.74	1,601.59
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	316.95	3,898.95
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	37.04	127.32

$इक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा सरप्लस शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
		निरंक		

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं

बीमा संस्था का नाम/ उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
		निरंक		

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

- भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है।
  - जोखिम
  - परिचालन जोखिम
  - चलनिधि जोखिम
  - अनुपालन जोखिम
  - पेंशन निधि दायित्व जोखिम
  - प्रतिष्ठा जोखिम
  - ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम
  - निपटान जोखिम
  - बाजार जोखिम
  - ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
  - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  - देश जोखिम
  - नव व्यवसाय जोखिम
  - कार्यनीतिक जोखिम
  - मॉडल जोखिम
  - कन्टेजन जोखिम
  - प्रतिभूतिकरण जोखिम
- भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अग्रिमों और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं। वह गौण ऋण और बेमीयादी ऋण लिखत के अतिरिक्त जब-जब जरूरत हो, इक्विटी जारी कर सकता है।
- विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना तैयार करने में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण किया जाता है। हर अनुषंगी की सीईटी 1/सीईटी2 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

▶ मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,22,801.41 करोड़
▶ निवेश का प्रतिभूतिकरण	शून्य
कुल	₹1,22,801.41 करोड़

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

▶ (मानक अवधि पद्धति)	
• ब्याज दर जोखिम	₹ 8363.48 करोड़
• विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹158.03 करोड़
• इक्विटी जोखिम	₹2,594.80 करोड़
कुल	₹11,116.31 करोड़

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मूल संकेतक पद्धति	₹12,113.96 करोड़
• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
कुल	₹12,113.96 करोड

(ड) साझा श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूंजी अनुपात:

दिनांक 31.03.2015 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

- शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा
- बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

	सीईटी 1 (%)	टियर-1(%)	योग (%)
एसबीआई समूह	9.13	9.49	12.00
भारतीय स्टेट बैंक	9.31	9.60	12.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.81	9.01	11.57
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.86	9.18	11.26
स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.21	8.36	11.42
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.41	8.66	12.06
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.61	8.90	10.89
एसबीआई (मारीशस) लि.	23.66	23.66	24.42
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	19.23	19.23	22.26
भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	16.54	16.54	17.69
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	29.40	29.40	29.40
पीटी बैंक एसबीआई, इंडोनेशिया	22.12	22.12	22.71
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	11.52	11.52	14.70
एसबीआई (बोत्सवाना) लि.*	122.13	122.13	122.13

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की अपेक्षा

पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

'अनियमित श्रेणी'

कोई खाता उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। अवधारणाओं के विकास और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।
ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

i. प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इस हेतु विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेना। ये जोखिमें मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

ii. औद्योगिक अनुसंधान, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाएं और नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ। समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों की गणना की जाती है। ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि इन घटकों के उदाहरण हैं।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार,

भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदण्डों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक के पास एक ऋण नीति है जिसका उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि इस संविभाग के अंदर अलग - अलग आस्तियों में कोई अनुचित गिरावट न हो। साथ ही साथ इसका उद्देश लचीलापन और नवोन्मेष के लिए काफी गुंजाइश छोड़ते हुए ऋण संबंधी मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएं, दस्तावेज मानक और संस्थात्मक चिंताओं और कार्यनीतियों की जागरूकता स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की संपूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के उपाय भी इस लेखा-परीक्षा का विषय होते हैं।

डीएफ-3 : मात्रात्मक प्रकटीकरण

सामान्य प्रकटीकरण :		**राशि करोड़ रुपये में**	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ख) सकल ऋण जोखिम की कुल राशि	1737896.30	496900.73	2234797.03
(ग) जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
विदेशी	243767.95	34149.38	277917.33
देशीय	1494128.35	462751.35	1956879.70
(घ) राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण		कृपया तालिका 'क' देखे	
निधि आधारित /गैर-निधि आधारित अलग-अलग			
(ड.) आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण		कृपया तालिका 'ख' देखे	
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) अर्थात (I से iv का योग)			74626.63
i. अवमानक			23611.17
ii. संदिग्ध 1			16657.96
iii संदिग्ध 2			26814.26
iv. संदिग्ध 3			4329.58
v. हानिप्रद			3213.66
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां			37813.96
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			4.29%
ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.24%
(झ) अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (सकल)			
i) प्रारंभिक शेष			80641.81
ii) वृद्धि			45810.39
iii) कमी			51825.57
iv) अंतिम शेष			74626.63
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			38425.88
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			23581.83
iii) अपलेखन			25113.13
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			81.91
v) अंतिम शेष			36812.67
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि			584.41
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			574.33

सामान्य प्रकटीकरण :		राशि करोड़ रुपये में	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(ड) निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			1946.92
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			171.55
iii) जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			33.29
iv) अपलेखन			588.95
v) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			884.53
vi) अंतिम शेष			678.28

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2015 को एक्सपोजर का औद्योगिक वितरण

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
1	कोयला	3,776.83	406.38	4,183.21	2954.70
2	खदान	6,947.44	648.84	7,596.28	3629.59
3	लोह एवं इस्पात	122,160.37	6,846.85	129,007.22	31648.73
4	धातु उत्पाद	39,208.31	1,814.42	41,022.73	8713.47
5	सभी अभियांत्रिकी	38,354.11	3,156.20	41,510.31	72050.01
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	12,427.02	1,097.70	13,524.72	10831.81
6	बिजली	28,292.87	83.88	28,376.75	2012.58
7	सूती वस्त्र	37,236.49	2,667.18	39,927.06	4999.81
8	जूट वस्त्र	427.92	179.82	607.74	59.89
9	अन्य वस्त्र	21,625.68	2,087.67	23,713.35	2054.68
10	चीनी	9,163.14	307.05	9,470.19	694.21
11	चाय	761.38	29.62	791.00	58.32
12	खाद्य प्रसंस्करण	34,863.78	4,222.68	39,104.05	2381.03
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	7,787.00	1,474.39	9,253.29	5853.73
14	तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद	698.65	10.83	594.33	292.33
15	कागज /कागज उत्पाद	5,703.05	1,346.58	6,984.05	949.68
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	7,180.37	312.41	7,426.61	1668.63
17	रसायन/ रंग/ रोगन आदि	78,263.34	4,185.67	82,487.23	47765.13
171	जिसमें उर्वरक	14,851.23	52.55	14,903.78	5352.27
172	जिसमें पेट्रोरसायन	41,061.02	719.75	41,757.38	32362.22
173	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	10,797.70	2,593.45	13,420.87	2038.23
18	सीमेंट	10,264.88	423.88	10,688.76	2546.25
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,696.29	99.16	2,795.45	422.37
20	रत्न एवं आभूषण	18,401.60	2,558.42	20,960.02	1990.37
21	निर्माण	12,769.57	153.71	12,907.14	3616.80
22	पेट्रोलियम	53,782.01	457.69	54,242.92	16519.63
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	12,692.08	95.61	12,796.28	5853.97
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,588.43	1,110.60	3,718.27	5963.43
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	249,417.80	9,007.16	258,574.06	74491.84
251	जिसमें बिजली	132,655.59	2,646.99	135,302.58	21966.08
252	जिसमें दूरसंचार	38,320.99	1,036.29	39,357.28	20210.96
253	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	30,618.05	2,636.63	33,254.68	13937.46
26	अन्य उद्योग	110,366.50	2,264.97	112,631.47	42422.39
27	एनबीएफसी एवं खरीद-फरोख्त	153,456.47	6,836.57	160,293.04	53461.29
28	शेष अग्रिम	594,395.10	21,838.39	616,233.49	101825.87
	योग	**1,663,269.67**	**74,626.63**	**1,737,896.30**	**496900.73**

तालिका - खडीएफ-3 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

		1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	17572.50	0.27	0.92	0.96	8.21	9.44	0	0	17592.30
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	49542.65	1097.57	2955.35	3823.59	13940.17	18696.05	9723.81	26754.70	126533.89
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	23652.92	1854.19	6889.18	5106.09	9230.77	10723.70	4920.15	2010.92	64387.92
4	निवेश	10558.31	7722.86	23054.22	20503.62	30442.02	97501.37	105348.01	341627.76	636758.17
5	अग्रिम	127511.62	23122.78	101226.00	98494.40	123524.58	807432.64	163011.19	249952.76	1694275.98
6	अचल आस्तियां	0	0	0.01	2.49	0	2.31	32.45	12559.81	12597.07
7	अन्य आस्तियां	40057.26	4149.91	9101.45	7453.10	2495.85	11183.31	1688.93	12284.18	88413.99
	कुल	**268895.26**	**37947.58**	**143227.14**	**135384.25**	**179641.60**	**945548.83**	**284724.53**	**645190.13**	**2640559.32**

*बीमा संस्थाएँ, गैर-वित्तीय संस्थाएँ, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंत:-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत आने वाले संविभाग के लिए

- प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई

  (i) एक वर्ष या कम समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2015 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

ख) जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां

100% से कम जोखिम भार : ₹	1394384.78
100% जोखिम भार : ₹	519929.48
100% से अधिक जोखिम भार : ₹	317243.03
घटाई गई ₹	3239.74
कुल ₹	**2234797.03**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा निम्नलिखित सहित

▶ तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहां बैंक,

क. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

▶ संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश

▶ बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

- नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
- स्वर्ण
- केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी-या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3रेटिंग प्राप्त है

▶ मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई) सहित], सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

- जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी

बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण

		(राशि करोड़ रुपये में)
(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात,) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,87,582.45
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	12,459.00

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क)	**प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :**	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का लक्ष्य इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा निर्वहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा; @संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में निर्धारित सीमामें प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो # कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो	लागू नहीं लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन;	लागू नहीं
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :**	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	**बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।**	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही	
(घ)	**बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि**	निरंक
(ङ)	**ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।**	निरंक
(च)	**एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि**	निरंक
(छ)	**(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि**	लागू नहीं

(ज)	**प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।**	निरंक
(झ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ञ)	**यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।**	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटन : क्रय-विक्रय वही	
(ट)	**बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।**	निरंक
(ठ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	**उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गईं:**	
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
(ढ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
	टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 क्रय-विक्रय बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशीय बैंकिंग इकाइयां

(क) बाजार जोखिम की सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें मानकीकृत पद्धति द्वारा आवरित संविभाग सम्मिलित हैं

1) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली बांड एवं शेयर की धारिता।
- 'व्यापार के लिए रखी गई' श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- समस्त डिरीवेटिव्स स्थितियाँ, उन डिरीवेटिव्स को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) सीमा प्रबंधन संरचना एवं बाजार जोखिम निर्वहन क्षमता विवरण

ग) निवेश नीति

घ) ब्याज दर प्रतिभूति और इक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति

ङ) डेरीवेटिव्स व्यापार नीति

च) विदेशी मुद्रा व्यापार नीति

छ) जोखिम मूल्य नीति

ज) दबाव परीक्षण नीति

झ) मॉडल प्रमाणीकरण नीति

ञ) मूल्यांकन नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार जैसे आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	8363.48
इक्विटी स्थिति जोखिम	2594.80
विदेशी विनिमय जोखिम	158.03
कुल	**11116.31**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

नीतियाँ एवं संरचना प्रलेख

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली
- आई एस नीति
- आई टी नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली नीति
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता संरचना (एसबीआई) प्रलेख
- परिवर्तन प्रबंधन संरचना प्रलेख
- पूंजी परिकलन संरचना प्रलेख

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ

अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं - आपदा पुनरुत्थान योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उन्नत उपाय पद्धति

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बासेल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित एक टेम्प्लेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंप्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 1700 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- संपूर्ण व्यवसाय और समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों पर नजर रखती है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए बासेल II में निर्धारित उन्नत उपाय पद्धति (एएमए) के अंतर्गत आवश्यक आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।
- एएमए पर माइग्रेट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन दे चुका है तथा सहयोगी बैंकों ने आशय पत्र दिए हैं।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- बैंक द्वारा "अनुदेशावलियाँ" (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।

- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं।

डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)	20%

बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण (स्टेट बैंक समूह) (मार्च 2015)

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	6882.34

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	4043.66
	2021.83

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे व्युत्पन्न लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कही जाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	112302.29	3595.76
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	19896.56	3049.10
ग) करेंसी विकल्प	9243.88	309.16
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	390183.51	12159.10
ङ) वायदा दर करार	Nil	Nil
च) अन्य (विदेशी विनिमय)	4.76	4.76
	1644.68	33.42
योग	**533275.68**	**19151.30**

(ग) जिन क्रेडिट डेरीवेटिव ट्रांजैक्शन के कारण सीसीआर (आनुमानिक मूल्य) में ऋण जोखिम उत्पन्न होता है, ऋण लेने वाली संस्थाओं और उनके मध्यवर्ती कार्यकलाप के उपयोग के लिए अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। उपयोग में लाए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पादों में विभाजित किया जाता है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के भीतर क्रय और विक्रय किए गए संरक्षण के बीच और विभाजित कर दिया जाता है।

कोई नहीं

डीएफ-11: पूंजी के घटक

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1): इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व			
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	42191.26	A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	106751.51	B1 + B2 + B6 (#) + B7
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)		
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)		
	1 जनवरी, 2018 तक छूट प्राप्त सरकारी क्षेत्र पूंजी अंत:क्षेपण		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3280.71	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	152223.48	
विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	567.13	378.09	D * 60%
9	अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर (संबंधित कर देयता घटाकर)	1867.85	124523.60	
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	566.49	377.66	C * 60%
11	कैश फ्लो हेज रिजर्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ		

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ	7.94	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	26.38	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	151.59	101.06
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	7.50	
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	6.01	
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	808.62	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	808.08	538.72
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश		
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है		
26घ	जिसमें : अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय	0.54	0
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों के लिए साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों में से निकाली गई राशि (भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं)		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4009.51	
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	148213.98	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	2970.00	
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)		

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	2970.00	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	3536.85	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1622.80	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	1221.50	
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	8129.65	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	54.51	36.34
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर अतिरिक्त टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	2287.95	4149.32
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें, जैसे - डीटीए]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन जिनके द्वारा टियर 1 में से 50% की कटौती की गई है]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	2342.46	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	5787.19	
44 क	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) जिसे पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया गया है	5787.19	
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	154001.17	
टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	2000.00	
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	22122.52	

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	7080.56		
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं			
50	प्रावधान	9849.25		
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी	41052.33		
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन				
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	4.33	2.89	
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)			
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)			
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश			
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर 2 पूंजी में कमी			
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	269.36	1077.44	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन, जिनमें टियर 2 में से 50% की कटौती की गई है]			
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]				
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	273.69		
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	40778.64		
58क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर 2 पूंजी	40778.64		
58ख	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसकी गणना टियर 2 पूंजी के रूप में की गई है	0		
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी [58क +58ख]	40778.64		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) [45 +58ग]	194779.81		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों से संबंधित जोखिम भारित आस्तियाँ			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें :			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1622574.33		
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1364460.13		
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	123514.61		
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	134599.59		
पूंजी अनुपात				
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.13%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.49%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.00%		

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	0%	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00%	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश		
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)		
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	9849.25	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	17055.75	
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0	
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0	
पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

*बी 6 आय और अन्य रिज़र्व एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं0

डीएफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2015 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बासेल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	**प्रदत्त पूंजी**	746.57	746.57
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	160,640.97	156,346.70
	आधे से कम हित	5,497.12	4,229.47
	कुल पूंजी	**166,884.66**	**161,322.74**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,052,960.79**	**2,053,955.13**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	19,099.84	19,099.84
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,033,860.95	2,034,855.29
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया उलेख करें)	-	-
iii	**उधार**	**244,663.46**	**244,786.20**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,798.75	5,798.75
	जिनमें : बैंकों से	113,320.42	113,320.09
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	69,755.81	69,748.00
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	55,788.48	55,919.36
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**235,601.11**	**163,682.60**
	कुल	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**144,287.55**	**144,102.28**
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	64,299.02	61,971.13
ii	**निवेश**	**695,691.75**	**624,746.95**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	525,491.74	501,796.43
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,538.46	22.33
	जिनमें : शेयर	27,464.02	5,023.47
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	72,532.97	58,790.25
	जिनमें : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,359.20	1,955.52
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	64,305.36	57,158.95
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,692,211.33**	**1,692,209.56**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	51,013.20	51,013.20
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,641,198.13	1,641,196.36
iv	**अचल आस्तियाँ**	**12,379.30**	**12,004.54**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**90,295.85**	**87,766.99**
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	3,113.09	3,113.09
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	949.50	944.15
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**
	कुल आस्तियाँ	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ क्रमांक
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	**प्रदत्त पूंजी**	746.57	746.57	A
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	746.57	746.57	A1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	160,640.97	156,346.70	B
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	57,789.73	57,789.73	B1
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	2,816.00	2,814.40	B2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	41,444.69	41,444.69	B3
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	1,381.85	1,381.85	B4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,765.71	6,763.65	B5
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	47,827.11	45,454.91	B6
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	2,615.88	697.47	B7
	आधे से कम हिस्सेदारी	5,497.12	4,229.47	
	कुल पूंजी	**166,884.66**	**161,322.74**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,052,960.79**	**2,053,955.13**	
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	19,099.84	19,099.84	
	जिनमें : ग्राहक से जमाराशियाँ	2,033,860.95	2,034,855.29	
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया उलेख करे)	-	-	
iii	**उधार**	**244,663.46**	**244,786.20**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,798.75	5,798.75	
	जिनमें : बैंकों से	113,320.42	113,320.09	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	69,755.81	69,748.00	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	55,788.48	55,919.36	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**235,601.11**	**163,682.60**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**144,287.55**	**144,102.28**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**64,299.02**	**61,971.13**	
ii	**निवेश**	**695,691.75**	**624,746.95**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	525,491.74	501,796.43	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,538.46	22.33	
	जिनमें : शेयर	27,464.02	5,023.47	
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	72,532.97	58,790.25	
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,359.20	1,955.52	
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	64,305.36	57,158.95	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,692,211.33**	**1,692,209.56**	
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	51,013.20	51,013.20	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,641,198.13	1,641,196.36	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**12,379.30**	**12,004.54**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**90,295.85**	**87,766.99**	
	जिनमें : गुडविल	-	-	
	जिनमें : अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	3,113.09	3,113.09	
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	949.50	944.15	C
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**	D
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियाँ	**2,700,110.02**	**2,623,746.67**	

चरण 3

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटि टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	42191.26	A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	106751.51	B1 + B2 + B6 (#) + B7
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिजर्व)	0	
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3280.71	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	152223.48	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	567.13	D * 60%

* बी6: आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ - समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

समूह की कंपनियों के संबंध में*
(विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियाँ,
देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)

सामान्य विवरण

कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियाँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा*, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

बैंकिंग - देश में स्थित	बैंकिंग - विदेश स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस) लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज़ सर्विसेज़ प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक वेबसाइट www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर कारपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

मार्च 2015 की समाप्ति पर ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण हेतु संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण

क्र. सं	संकेतक	उप-संकेतक	राशि भारतीय रुपए में (बिलियन में)
1.	प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी गतिविधि	प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी दावे	3163.80
		प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी देयताएं	4110.40
2.	आकार	बासेल-3 लिवरेज अनुपात में उपयोग हेतु यथा परिभाषित कुल वित्तीय संबद्धता (जोखिम)	32687.77
3.	अंतर-सम्बद्धता	अंतरा वित्तीय प्रणाली आस्तियां	1229.61
		अंतरा वित्तीय प्रणाली देयताएं	202.49
		बकाया प्रतिभूतियां	1088.75
4.	सबस्टिट्यूबिलिटी/वित्तीय संस्था आधारिक संरचना	अभिरक्षा अधीन आस्तियां	1522.50
		भुगतान गतिविधि	94184.87
		ऋण एवं ईक्विटी बाजारों में कम मूल्य पर दिखाए गए लेनदेन	0.86
5.	जटिलता	ओटीसी डेरीवेटिव्स की काल्पनिक राशि	7123.47
		स्तर-3 की आस्तियां	111.78
		ट्रेडिंग और विक्रय हेतु उपलब्ध प्रतिभूतियां	416.51